रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 31, 1970 (कार्तिक 9, 1892)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31, 1970 (KARTIKA 9, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## नोटिस
## (NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 जुलाई 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 22nd July 1970 :—

| अंक (Issue No.) | संख्या और तिथि (No. and Date) | द्वारा जारी किया गया (Issued by) | विषय (Subject) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

—शून्य—

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

## विषय-सूची (CONTENTS)


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . | 871 |
| भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 1329 |
| भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 113 |
| भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 1305 |
| भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . | — |
| भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . | — |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . | 3931 |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . | 4781 |
| भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . . | 617 |
| भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . . | 1223 |
| भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें . | 417 |
| भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं | 157 |
| भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . . | 1815 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . | 189 |
| पूरक संख्या 44— | |
| 24 अक्तूबर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट . | 1811 |
| 3 अक्तूबर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े | 1821 |

| | |
|---|---|
| PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. .. | 871 |
| PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. .. | 1329 |
| PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. .. .. .. | 113 |
| PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence | 1305 |
| PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. .. .. | — |
| PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. .. | — |
| PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. .. .. .. | 3931 |
| PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) | 4781 |
| PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. .. .. .. .. | 617 |
| PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. .. .. .. .. | 1223 |
| PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta.. | 417 |
| PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. .. .. .. | 157 |
| PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .. .. | 1815 |
| PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .. | 189 |
| SUPPLEMENT NO. 44 | |
| Weekly Epidemiological Reports for week ending 24th October 1970 .. .. .. | 1811 |
| Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 3rd October, 1970 .. .. .. .. | 1821 |

# भाग I—खण्ड 1
# PART I—SECTION 1

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

### राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर 1970

सं० 54-प्रेज/70—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

**अधिकारी का नाम तथा पद**

श्री सैम्युल आर्थर क्रोथर,
रेडियो अनुरक्षण अधिकारी, 38वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस । (स्वर्गीय)

5 जुलाई, 1968 से लगातार एक सप्ताह से भी अधिक समय तक भारी वर्षा और बाढ़ के कारण त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में सारी संचार व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गयी थी । 9 जुलाई, 1968 की संध्या के बाद सूचना प्राप्त हुई कि सीमा बाह्य चौकी समरूपार और रंगना के वितन्तु संयंत्र से सम्बन्ध टूट गया है और बटालियन के मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित नहीं हो रहा था । श्री सैम्युल आर्थर क्रोथर को वितन्तु संयंत्र की मरम्मत करने तथा संचार व्यवस्था को पुनः चालू करने के लिये तैनात किया गया । श्री क्रोथर 10 जुलाई, 1968 को बहुत सवेरे सीमा चौकियों के लिये रवाना हुए और भारी वर्षा की भी परवाह न करते हुए, बहादुरी से आगे बढ़े और 230 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात् 11 जुलाई, 1968 को रंगना बाह्य चौकी पर पहुंचे, रेडियो संयंत्र की मरम्मत की और बटालियन मुख्यालय के साथ पुनः संचार सम्पर्क स्थापित कर दिया । इसके पश्चात् वे 12 जुलाई, 1968 को दिन के लगभग 12 बजे समरूपार सीमावर्ती चौकियों के लिये रवाना हुये । सब जगह सड़कें टूट जाने के कारण उस स्थान से आगे न बढ़ सके जहां से कि उनकी मंजिल लगभग 5 किलोमीटर रह गयी थी । उन्होंने अपना वाहन वहीं पर छोड़ कर और अपनी जान के खतरे की परवाह न करते हुए बाढ़ ग्रस्त नदियों और नालों के पानी में पैदल आगे बढ़ते गये । जब वह बाह्य चौकी के नज़दीक पहुंचे ही थे कि सहायक रेडियो आपरेटर जो पानी की गहराई का अनुमान लगाने के लिए हाथ में एक लम्बा बांस लिए श्री क्रोथर के आगे चल रहा था, गहरे पानी में गिर गया । शीघ्र ही वह पानी से ऊपर उठा और सहायता के लिये ज़ोर से पुकारा । श्री क्रोथर अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए अपने साथी के बचाव के लिये फौरन लपके किन्तु गहरे तूफानी तथा बहुत तेज धारा के कारण वह सम्भल न सके और डूब गये । उनका शव चौथे दिन ही मिला ।

श्री सैम्युल आर्थर क्रोथर ने बड़े दृढ़ संकल्प एवं असाधारण व्यवसायिक निपुणता का परिचय दिया और अपना कर्त्तव्य निभाते हुए और अपने साथी की जान बचाने के प्रयास में अपनी जान दे दी ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 जुलाई, 1968 से दिया जायेगा ।

पे० ना० कृष्ण मणि, संयुक्त सचिव

---

### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 अक्तूबर 1970

सं० 26/8/70-ए० एन० एल०—राष्ट्रपति अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ-शासित क्षेत्र के मुख्यायुक्त से सम्बद्ध उक्त संघ राज्य क्षेत्र की सलाहकार समिति के लिए वेस्ट बेकाछाल के श्री कनसा को 31 मार्च, 1971 तक की अवधि के लिए सहर्ष मनोनीत करते हैं ।

अ० व० पाण्डे, संयुक्त सचिव

---

### वित्त मंत्रालय
### (अर्थ विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1970

सं० एफ० 2 (33)-एन० एस०/70—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की 4½ प्रतिशत ब्याज वाले दश-वर्षीय रक्षा जमा-पत्रों से सम्बन्धित 1 नवम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या एफ० 3 (21) 21 एन० एस०/62 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (1) के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"1(क) उप-पैराग्राफ (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किसी ऐसी जमा रकम पर, जिसकी मियाद पूरी होने म 16 मार्च, 1970 को कम से कम सात वर्ष की अवधि बाकी हो, 16 मार्च, 1971 को या उसके बाद देय होने वाले ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में, 4.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा । 4.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निवेश की तारीख से पूरे एक वर्ष बाद की तारीख को अदा किया जायगा और उसके बाद ब्याज इस तरह की वार्षिक तारीख से 12 कलेण्डर मास की

अवधि पूरी हो जाने के बाद हर साल अदा किया जायगा, परन्तु जो अवधि बारह महीने से कम होगी उसके लिए ब्याज अदा न किया जायगा ।

प्रकाश नारायण मालवीय, अनु-सचिव

---

**औद्योगिक विकास, तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय**

**(औद्योगिक विकास विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर 1970

सं० एस० एस० आई० (बी०)-3 (7)/70—भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संकल्प संख्या आर० आई० पी० सी०-1(1)/68, दिनांक 30 मई, 1968, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण उद्योगयोजना समिति का पुनर्गठन किया गया था, के साथ दिनांक 1 जून, 1970 तथा 4 सितम्बर, 1970 की अधिसूचनाओं को पढ़ते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों के नामों को ग्रामीण उद्योग योजनाओं समिति के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जाए :—

सदस्य (29) श्री के० डी० मालवीय

(30) श्री ए० आर० भाट

(31) श्री आर० के० तलवार,
अध्यक्ष, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बंबई

(32) श्री सी० माधव रेड्डी
अध्यक्ष , आंध्र प्रदेश
लघु उद्यो० विकास निगम,
हैदराबाद ।

ओ० आर० पद्मनाभन, अवर सचिव

---

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर 1970

सं० एल० ई० आई० (ए०)-16(1)/67—भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) संकल्प संख्या एल० ई० आई० (ए०)-16 (1)/67 दिनांक 16 फरवरी, 1968, 15 मई, 1968 तथा 21 अगस्त 1968 का अधिलंघन करते हुए, भारत सरकार ने चिकित्सा यंत्र, उपकरण तथा साधनों के विकास की सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है ।

2. सलाहकार समिति के कार्य ये हैं :—

(1) चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा यंत्रों, उपकरण तथा साधनों और सहबद्ध वस्तुओं के निर्माण को विकास के अनुसार साथ-साथ रखना;

(2) निर्माण की जाने वाली नई वस्तुओं के बारे में समय-समय पर सुझाव देना; तथा

(3) इस उद्योग के विकास से संबंधित मामलों के सभी पहलुओं पर सरकार को परामर्श देना ।

3. सलाहकार समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1) श्री वी० पी० एस० मेनन, सदस्य तथा वैकल्पिक अध्यक्ष
औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी),
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

सदस्य (2) श्री वी० वी० एस० मूर्ति,
उप-अधीक्षक (क्वालिटी नियंत्रण),
शल्य चिकित्सा यंत्र संयंत्र,
नन्दनबाकुम, मद्रास-16 ।

(3) कर्नल एन० एन० बेरी,
अवैतनिक दंत सलाहकार,
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण,
आवास तथा नगर विकास मंत्रालय,
13, कर्जन रोड, नई दिल्ली-1 ।

4. श्री वी० कृष्णमूर्ति, सदस्य-सचिव
विकास अधिकारी (यंत्र),
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

सदस्य 5. श्री ए० बी० राव,
निदेशक (उपभोक्ता उत्पाद),
भारतीय मानक संस्था, मानक भवन,
9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।

6. डा० एस० एस० वर्मा,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली ।

7. श्री एस० राघवैया,
निदेशक, विकास आयुक्त, लघु उद्योग
का कार्यालय, निर्माण भवन,
नई दिल्ली ।

8. श्री कार्ल स्कमिट,
साइमन इंडिया लिमिटेड,
130 वर्ली, बंबई-18, पश्चिम बंबई ।

9. श्री टी० देवज्ञानम,
प्रबन्ध निदेशक,
नीडल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड,
केट्टि, डाकखाना-नीलगिरी ।

10. श्री जे० डी० चंद्रियानी,
मालमवार ब्यू,
चौपाटी सी फेस, बम्बई-7 ।

11. डा० एस० ए० कबीर,
डीन, अर्सकिन अस्पताल,
मदुरै ।

4. सलाहकार समिति का कार्यकाल पहली बार दो वर्षों का होगा ।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए तथा सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशिमे किया जाए ।

आबिद हुसैन, संयुक्त सचिव

---

**स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण आवास और नगर विकास मंत्रालय**

**(परिवार नियोजन विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर, 1970

**संकल्प**

सं० 6-7 70-नीति—भोपाल में 6 और 7 नवम्बर, 1969 को हुई केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की छटी बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में एक समिति का गठन करने का निर्णय किया गया है जो प्रत्येक चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जन्म-दर को सात-सात प्रति हजार कम करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित रने के कार्य की समीक्षा और जांच करेगी तथा उचित और वास्तविक लक्ष्यों को निश्चित करेगी ।

2. समिति की रचना इस प्रकार होगी :—

**अध्यक्ष** 1. प्रो० सी० एन० वकील,
उप-कुलपति, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय
पोस्ट बाक्स नं० 49,
सूरत ।

**सदस्य** 2. प्रो० डी० बी० लाहिरी,
भारतीय सांख्यकीय संस्थान,
कलकत्ता ।

3. श्री जे० ए० अम्बासंकर,
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन,
तमिलनाडु सरकार,
मद्रास ।

4. श्री टी० बी० पटेल,
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय,
गुजरात, अहमदाबाद ।

5. श्री एस० एन० अग्रवाल,
निदेशक, जनसंख्या अध्ययनों का अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान बम्बई ।

6. श्री टी० आर० पुरी,
संयुक्त निदेशक, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन,
योजना आयोग, नई दिल्ली ।

7. डा० आर० एस० कुरुप,
विशेषाधिकारी (मूल्यांकन),
परिवार नियोजन विभाग,
नई दिल्ली । सदस्य सचिव

3. समिति के निर्देश पद ये होंगे :—

(1) प्रत्येक चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश की जन्म दर को 7 प्रतिहजार कम करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए और प्रत्येक राज्य के लिए वास्तविक लक्ष्य निश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण करना ।

(2) वर्तमान और भावी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से प्रत्येक राज्य के लिए योजना की सारी अवधि तथा चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रत्येक वर्ष के वास्तविक आंकड़े निर्धारित करना ।

(3) लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सम्बन्धित तथा सहायक उपायों का सुझाव देना ।

4. समिति को अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1970 तक भेज देनी चाहिए । समिति अपनी क्रियाविधि स्वयं निश्चित करेगी और तकनीकी सचिवालय सहायता केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान, नई दिल्ली और जनसंख्या अध्ययनों का अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान चेम्बुर, बम्बई से प्राप्त करेगी । निर्देश पदों मे सम्बन्धित किसी विशिष्ट मामले में सहायता लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञों और सलाहकारों को चयन करने का अधिकार समिति को होगा ।

5. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए समिति के गैर-सरकारी सदस्य यात्रा और दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे । ये भत्ते उन्हें उसी दर के अनुसार दिए जाएंगे जो केन्द्रीय सेवाओं के क्लास-1 के उच्चतम ग्रेड के अधिकारी को स्वीकृत किए जाते हैं । समिति के ऐसे सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हैं वे अपने यात्रा और दैनिक भत्ते स्वीकृत दरों के अनुसार उस कार्यालय से प्राप्त करेंगे जहां से उन्हें वेतन मिलता है ।

6. यह खर्च वर्ष 1970-71 के चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य की मांग संख्या 38 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 30-ख लोक स्वास्थ्य ख-5 विविध ख 5(4) परिवार नियोजन पर व्यय ख 5(4) (5) तकनीकी सलाह और पर्यवेक्षण ख 5 (4) (5) (1)-मुख्यालय के तकनीकी पक्ष के अन्तर्गत स्वीकृत बजट से पूरा किया जाएगा ।

**आदेश**

आदेश है कि संकल्प की प्रति समस्त राज्य सरकारों /संघ क्षेत्र सरकारों को भेज दी जाए ।

2. आदेश है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

रवीन्द्र नाथ मधोक, संयुक्त सचिव

---

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्तूबर 1970

**संकल्प**

सं० 1-12/70-एम० ई० एम०—इस विभाग के संकल्प संख्या 1-19/70-एम० ई० एम०, दिनांक 11 फरवरी, 1970 के अनुसरण में परिवार नियोजन विभाग ने परिवार नियोजन पर

सर्वोत्तम वृत्त फिल्म और परिवार नियोजन पर सर्वोत्तम लघु फिल्म के लिए पुरस्कारों की सिफारिश करने हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चयन समिति का गठन किया है ।

इस समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1. श्री होमी जे० एच० तल्यारखां — अध्यक्ष
सदस्य विधान सभा, महाराष्ट्र,
41, भूलाबाई देसाई रोड,
बम्बई-26

**सदस्य**

2. श्री के० ए० अब्बास,
द्वारा 'ब्लिट्ज' वीकली,
बम्बई ।
3. श्री ए० एल० श्रीनिवासन,
अध्यक्ष, एस० आई० एफ० सी० सी०,
खलेड़ी एवेन्यू,
122 माउंट रोड,
मद्रास ।
4. श्रीमती ताराअली बेग,
आर० 8-होज़ खास,
नई दिल्ली-16
5. श्री वी० के० करंजिया,
सम्पादक, 'फिल्मफेयर'
टाइम्स आफ इंडिया,
बम्बई ।
6. श्रीमती अवा० वाई० बी० वाडिया,
अध्यक्ष, भारतीय परिवार नियोजन संघ,
बम्बई ।
7. श्री चिदानन्द दास गुप्ता,
स्थल तल, एफ० 385-ए०, ब्लाक 'जी०'
53-न्यू अलीपुर, कलकत्ता-23
8. श्रीमती ऊषा भगत,
सामाजिक कार्यकर्ता,
32 पूर्वी निजामुद्दीन,
नई दिल्ली-13
9. श्रीमती नरगिस दत्त,
58-पाली हिल्स, बांदरा,
बम्बई ।
10. श्री के० एल० खंडपुर,
चीफ प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग,
24, पेड्डार रोड,
बम्बई -26
11. श्री वी० ए० पाटिल,
सम्पादक, 'सत्यवादी',
कोल्हापुर, (महाराष्ट्र)
12. श्री वी० डी० व्यास,
उप-सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
13. श्री प्रताप कपूर,
मुख्य (प्रचार), परिवार नियोजन विभाग
नई दिल्ली ।

श्रीमती अविनाश पंडित, कार्यक्रम अधिकारी, परिवार नियोजन विभाग, इस समिति की असदस्य सचिव होंगी ।

**आदेश**

आदेश है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दीना नाथ चौधरी, उप-सचिव

---

## खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय
## (सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अक्तूबर 1970

सं० एल० 12015/8/70-विविध—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज तथा अधिसूचित पदार्थों के उत्पादन, विधायन, भण्डारण और विपणन के कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी । यह राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डागार बोर्ड की उत्तराधिकारी संस्था है, जो कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था । लोक-लेखा समिति ने अपनी 106वीं रिपोर्ट में कहा है कि "उनके पास इस बात पर संदेह करने के कारण हैं कि क्या सहकारी क्षेत्र में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसी सरकारी संस्था का होना नितांत आवश्यक है" और निम्न सिफारिश की है :

"समिति यह चाहती है कि सरकार उपर्युक्त विचार को विस्तृत विशेषज्ञ अध्ययन के लिए भेजे और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में निर्णय करे । हर हालत में, यदि इस संस्था को रखने का औचित्य भी हो, राज्यों को इस निगम के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली आवश्यक प्रतीत नहीं होती है" ।

2. लोक लेखा समिति की उपर्युक्त सिफारिश के अनुसरण में सरकार ने इसकी तथा अन्य सम्बद्ध मामलों की सभी पहलुओं से जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय किया है । विशेषज्ञ समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

**अध्यक्ष** 1. श्री बी० वेंकटापैया,
सदस्य, योजना आयोग , नई दिल्ली ।

**सदस्य** 2. श्री जी० आर० कामथ,
3, निजामुद्दीन, ईस्ट, नई दिल्ली—13

3. श्री पी० एन० डमरी,
उप-गवर्नर,
भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई ।

4. श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू,
अध्यक्ष,
नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीस लि०, एल–8, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट–2, नई दिल्ली–49 ।

5. श्री वी० एन० पुरी,
अध्यक्ष,
नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, डी-44 साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-2, नई दिल्ली ।

6. श्री एस० बी० काजी,
सचिव, महाराष्ट्र सरकार
कृषि तथा सहकारिता विभाग,
बम्बई ।

7. श्री एल० एन० भोंगीरवार,
उप-कुलपति,
पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय,
अकोला (महाराष्ट्र) ।

8. श्री एम० एस० चौधरी,
आयुक्त कृषि उत्पादन तथा अतिरिक्त
मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल ।

सदस्य सचिव 9. श्री के० एस० बावा,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

3. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकरण का पुनर्विलोकन इस बात का मूल्यांकन करने के लिए करना कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी;

(2) इस बात की जांच करना कि क्या इस निगम को बनाए रखने की आवश्यकता है; यदि हां तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत दी गई इसकी वर्तमान गतिविधियों के कार्यक्षेत्र में आशोधन, यदि कोई हों, करने का सुझाव देना;

(3) निगम अपने संगठन को उचित रूप से मजबूत बना सके उसके लिए वैधानिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय उपायों की सिफारिश करना, ताकि वह अपने वर्तमान कार्यों और साथ ही ऐसे अन्य कार्यों जिन की समिति द्वारा सिफारिश की जाए, को कारगर रूप से पूरा कर सकें ;

(4) इस बात की जांच करना कि क्या राज्यों को निगम के माध्यम से केन्द्रीय सहायता देने की प्रणाली आवश्यक है और उसमें कोई परिवर्तन, आशोधन अथवा सुधार करने का सुझाव देना ।

5. समिति देश में ऐसे दौरे कर सकती है जिन की आवश्यकता हो ।

6. समिति अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1971 तक पेश करेगी ।

7. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

**आदेश**

आदेश है कि इस अधिसूचना की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश है कि इस अधिसूचना को भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

एम० ए० कुरेशी, अतिरिक्त सचिव

---

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय**

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्तूबर 1970

सं० एफ० 1-3/70 स्कूल-4—राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के नियमों (अभी तक यथासंशोधित) के नियमों 7 और 8 के उपबन्धों के साथ पढ़े जाने वाले उप-नियम 3(iv) और नियम 3 (vii) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के सदस्यों के रूप में सहर्ष नामजद करती है :–

**नियम: 3 (IV)**

(1) डा० के० एल० श्रीमाली,
उप-कुलपति,
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय,
वाराणसी ।

(2) प्रो० एस० एन० सेन,
उप-कुलपति,
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।

(3) श्री एन० डी० सुन्दरवडिवेलु,
उप-कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।

(4) श्रीमती शारदा दीवान,
उप-कुलपति,
एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय,
1, नयीबाई थैकरसी मार्ग, बम्बई-20 (बी०आर

**नियम: 3 (VII)**

(1) श्री भक्त दर्शन,
केन्द्रीय राज्य शिक्षा मंत्री,
नई दिल्ली ।

(2) श्री एच० नरसिमहैया,
प्रधानाचार्य,
नेशनल कालेज, बंगलौर ।

(3) श्री आई० जे० पटेल,
उप-कुलपति,
सरदार पटेल विश्वविद्यालय,
बल्लभ विद्यानगर,
गुजरात ।

(4) श्री एस० पी० वर्मा,
जन शिक्षा निदेशक,
मध्य प्रदेश भोपाल ।

(5) प्रो० रइस अहमद,
भौतिक विभाग के प्रधान,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़ ।

(6) श्री डी० बी० फटनगारे,
थामबरे भवन,
कोपरगांव जिला अहमदनगर,
(महाराष्ट्र) ।

(7) श्री एस० वी० चित्तीबाबू,
स्कूल शिक्षा निदेशक,
तामिलनाडु,
मद्रास-6 ।

(8) कुमारी के० पसरोचा,
शिक्षा निदेशक,
हिमाचल प्रदेश,
शिमला ।

(9) डा० डी० एन० गोखले,
डेकन शिक्षा संस्था,
न्यू इंगलिश स्कूल,
तिलक मार्ग पूना-9 ।

(10) डा० के० कुरुविला जेकब,
प्रधानाचार्य,
केथेड्रल तथा जान केनल स्कूल,
6, ओटरानी रोड,
बम्बई ।

(11) श्री अबदुल गनी साहब,
429, पी० आर० स्ट्रीट,
मुस्लिमपुर,
बनीयामवादी जिला नाथ अरकोट, तमिलनाडु ।

(12) श्री के० सुकुमारन,
प्रधानाचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय,
पिकेट सिकन्दराबाद (दक्कन) ।

सदस्यता 31-12-1971 तक रहेगी ।

एस० पी० जैन, अवर सचिव

## संचार विभाग

### नियमावली

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1970

सं० क 12035/5/70-सी० एण्ड पी०—सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों की सहमति से निम्नलिखित पदों के रिक्त स्थान भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल, 1971 में ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

(1) बेतार योजना और समन्वय स्कन्ध/अनुश्रवण संगठन, संचार विभाग, में इंजीनियर (श्रेणी-I),

(2) समुद्रपार संचार सेवा, संचार विभाग, में उप-इंजीनियर इन-चार्ज (श्रेणी-I),

(3) समुद्रपार संचार सेवा, संचार विभाग, में सहायक इंजीनियर (श्रेणी-II),

(4) समुद्रपार संचार सेवा, संचार विभाग, में तकनीकी सहायक (श्रेणी-II-अराजपत्रित),

(5) आकाशवाणी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, में सहायक स्टेशन इंजीनियर (श्रेणी-I),

(6) सिविल विमानन विभाग, पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय, में तकनीकी अधिकारी (श्रेणी-I),

(7) सिविल विमानन विभाग, पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय, में संचार अधिकारी (श्रेणी-I),

(8) तकनीकी विभाग महानिदेशालय, औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार (औद्योगिक विकास) विभाग में सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) (श्रेणी-I), और

(9) भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय, में उप-हथियार-पूर्ति अफसर ग्रेड-II (श्रेणी-I) ।

2. परीक्षा के परिणाम पर भरे जाने वाले स्थानों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस द्वारा बताई जाएगी । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार जितना तय करे उतने स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों का अर्थ है वे जातियां आदिम जातियां जिनका निम्नलिखित में उल्लेख है—संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 से संशोधित हैं और जो निम्नलिखित के साथ पठित हैं—बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1960, संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (अन्दमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जातियां आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1962 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 और संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1968 ।

3. परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के परिशिष्ट I में दिए गए तरीके से ली जाएगी ।

आयोग द्वारा परीक्षा की तारीखें और स्थान तय किए जाएंगे।

4. उम्मीदवार को निम्नलिखित में से एक होना चाहिए :—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) सिक्किम की प्रजा; या

(ग) नेपाल की प्रजा; या

(घ) भूटान की प्रजा; या

(ङ) तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आ गया हो; या

(च) व्यक्ति जो मूल रूप से भारतीय हो, और जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान लंका और पूर्वी अफ्रीका के केनिया, युगांडा तथा संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) देशों से आया हो;

उपर्युक्त श्रेणी (ग), (घ), (ङ) और (च) के अन्तर्गत आनेवाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार का दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

तथापि निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक नहीं होगा :—

(i) जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए हों और तब से साधारणतया भारत में ही रहते हों।

(ii) जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में पाकिस्तान से भारत आ गए हों और जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन अपने को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो।

(iii) उपर्युक्त श्रेणी (च) के उम्मीदवार जो भारत के संविधान के लागू होने, अर्थात् 26 जनवरी 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आ गए और जो बिना किसी सेवा-भंग के तब से बराबर सेवा में हों। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद सेवा भंग के उपरान्त सेवा में आए हों या आगे चलकर आएं उन्हें आम तौर से पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे भी इस शर्त के साथ परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र दे दिया जाए।

5. (क) इस परीक्षा का उम्मीदवार 20 वर्ष का हो चुका होना चाहिए और वह 25 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त 1946 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 1951 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(ख) ऊपर बताई गई आयु की ऊपरी सीमा निम्नलिखित श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के मामले में पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि वे अपने विभाग के रिक्त स्थानों के लिए आवेदन कर रहे हों :—

(i) वह उम्मीदवार जो किसी विभाग में स्थायी पद पर हो। यह छूट उस उम्मीदवार को नहीं दी जाएगी जो स्थायी पद के लिए नियुक्त होने पर भी परिवीक्षाधीन अवधि में हो।

(ii) वह उम्मीदवार जिसने 1 अगस्त 1971 को या उससे पहले किसी विभाग में कम-से-कम निरन्तर तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो उस रूप में सेवा कर रहा हो।

बशर्ते कि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित आयु की ऊपरी सीमा की छूट परीक्षा में तीन से अधिक बार बैठने के लिए नहीं दी जाएगी।

(ग) ऊपर बताई गई ऊपरी आयु सीमा निम्नलिखित के लिए भी बढ़ाई जा सकती है :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जति का हो तो अधिकतम पांच वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्व पाकिस्तान से आया हुआ सदाशयी विस्थापित व्यक्ति हो और भारत में 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद आ गया हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक ;

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का और पूर्व पाकिस्तान से आया हुआ सदाशयी विस्थापित व्यक्ति हो, और भारत में 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद आ गया हो, तो अधिकतम आठ वर्ष तक ;

(iv) यदि उम्मीदवार पांडिचेरी संघ-क्षेत्र का निवासी हो और उसने किसी स्तर पर फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की हो, तो अधिकतम तीन वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार लंका से प्रत्यावर्तित सदाशयी भारत-मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत आ गया हो, तो अधिकतम तीन वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और लंका से प्रत्यावर्तित सदाशयी भारत-मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत आ गया हो, तो अधिकतम आठ वर्ष तक ;

(vii) यदि उम्मीदवार भारत-मूलक हो और केन्या, युगान्डा या संयुक्त तंजानिया गणराज्य

(भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) देश से भारत आ गया हो, तो अधिकतम तीन वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से प्रत्यावर्तित सदाशयी भारत मूलक व्यक्ति हो और 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत आ गया हो तो अधिकतम तीन वर्ष तक ;

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से प्रत्यवर्तित सदाशयी भारत मूलक व्यक्ति भी हो तथा 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत आ गया हो तो अधिकतम आठ वर्ष तक ;

(x) यदि उम्मीदवार रक्षा सेवाओं का ऐसा व्यक्ति हो किसी अन्य देश के साथ युद्ध में या अशान्त क्षेत्र में लड़ते समय विकलांग हो गया हो और उसके परिणामस्वरूप सेवामुक्त कर दिया गया हो तो अधिकतम तीन वर्ष। किन्तु यह छूट उस उम्मीदवार को नहीं दी जाएगी जो पहले ही पांच बार यह परीक्षा दे चुका है ;

(xi) यदि उम्मीदवार रक्षा सेवाओं का ऐसा व्यक्ति हो जो अन्य देश के साथ युद्ध या अशान्त क्षेत्र में लड़ते समय विकलांग हो गया हो और उसके परिणामस्वरूप सेवामुक्त कर दिया गया हो तथा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का भी हो तो अधिकतम आठ वर्ष तक। किन्तु यह छूट उस उम्मीदवार को नहीं दी जाएगी जो पहले दस बार यह परीक्षा दे चुका हो ;

और

(xii) यदि उम्मीदवार गोवा, दमन या दीव के संघ क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिकतम तीन वर्ष।

ध्यान दें (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए यदि उम्मीदवार इस परीक्षा में एक या दो पदों के लिए बैठा हो तो यह परीक्षा के अन्तर्गत सभी पदों के लिए बैठा हुआ माना जाएगा।

यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक विषयों में परीक्षा देता है तो उसे परीक्षा में बैठा हुआ माना जाएगा।

ध्यान दें (ii) यदि किसी उम्मीदवार को उम्र की उपर्युक्त (ख) रिआयत के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो तो उसकी उम्मीदवारी तब रद्द कर दी जा सकती है जब परीक्षा के लिए आवेदन दे देने के बाद लेकिन परीक्षा में बैठने के पहले या बाद वह या तो नौकरी से इस्तीफा दे दे या उसकी नौकरी उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाए। किन्तु परीक्षा के आवेदन के बाद यदि उसके पद से या नौकरी से उसकी छंटनी कर दी जाए तो वह परीक्षा के लिए पात्र बना रहेगा।

यदि परीक्षा के लिए विभाग को आवेदन-पत्र देने के बाद उम्मीदवार का स्थानान्तरण किसी अन्य विभाग / कार्यालय को कर दिया जाए तो भी उम्र की रिआयत के अन्तर्गत उस पद के लिए प्रतियोगिता में बैठने में उसकी पात्रता में कोई अंतर नहीं आएगा जिसके लिए वह स्थानान्तरण से पहले पात्र था, बशर्ते कि मूल विभाग ने उसका आवेदन-पत्र अग्रेषित कर दिया हो।

उपर्युक्त उपबन्धों को छोड़ कर विहित आयु-सीमा किसी मामले में नहीं बढ़ाई जाएगी।

6. उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि :—

(क) उसने भारत के केन्द्रीय या किसी राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय की अथवा संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शिक्षा संस्था की अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं की इंजीनियरी डिग्री प्राप्त की हों; या

(ख) उसने इंस्टीट्यूशन आयु एंजीनियर्स (इंडिया) की सहसस्यता की परीक्षा के खण्ड क और ख पास किया हो ;

(ग) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थाओं की इंजीनियरी डिग्री/डिप्लोमा ऐसी शर्तों के अधीन प्राप्त किया हो जिन्हें सरकार ने समय-समय पर मान्यता दी हो ;

(घ) 'इंस्टीट्यूशन आफ टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स (इंडिया)"की स्नातक सदस्यता परीक्षा पास की हों; या

(ङ) बेतार संचार, इलेक्ट्रानिकी, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी के विशेष विषय सहित एम० एस० सी० या उसके समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो ; या

(च) "इंस्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड रेडियो एंजीनियर्स, लन्दन" की नवम्बर, 1959 के बाद की ग्रेजूएट मैम्बरशिप परीक्षा पास की हो।

"दि इंस्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड रेडियो एंजीनियर्स, लन्डन" की नवम्बर 1959 से पहले की परीक्षा भी निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार की जाती है :—

(i) यदि उम्मीदवार ने नवम्बर, 1959 के पहले की परीक्षा पास की हो तो यह आवश्यक है कि वह निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों में भी बैठा हो और उत्तीर्ण हुआ हो :—

(i) (1959 के बाद को योजना के अनुभाग क (ए) में निर्धारित पाठ्यक्रय के अनुसार) विद्युत इंजीनियरी के सिद्धान्त और अनुप्रयोग ;

(ii) (1959 के बाद की योजना के अनुभाग ख में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार) गणित II;

2. ऊपर की शर्त (1) पूरी करने के प्रमाणस्वरूप सम्बन्धित उम्मीदवार को 'इंस्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड रेडियो एंजीनियर्स, लन्दन' का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

**नोट** 1 :—आयोग अपवाद स्वरूप ऐसे उम्मीदवारों को भी शैक्षणिक दृष्टि से योग्य मान सकता है जिनके पास इस नियम में निर्धारित कोई योग्यताएं तो न हों किन्तु जिन्होंने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित ऐसी परीक्षाएं पास की हों जिनका स्तर आयोग की राय में ऐसा हो कि परीक्षा में प्रवेश देना उचित सिद्ध हो।

**नोट** 2 :—यदि उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें पास हो जाने पर वह इस परीक्षा में बैठने की का हकदार हो जाता है तो वह परीक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है भले ही उस परीक्षा के परिणाम की सूचना उसे अभी न मिली हो। जो उम्मीदवार ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है वह भी आवेदन कर सकता है, परन्तु शर्त यह है कि अर्हक परीक्षा उस प्रतियोगिता परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाने वाली हो। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में तो बैठने दिया जाएगा परन्तु शर्त यह है कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति अनन्तिम ही मानी जाएगी और यदि वह जल्दी-से-जल्दी इस बात के प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाएं तो इस अभिस्वीकृति को रद्द किया जा सकता है। हर हालत में उन्हें अर्हक परीक्षा पास कर लेने के प्रमाण इस परीक्षा में शुरू के दो महीने के भीतर भेज देने पड़ेंगे।

**नोट** 3 :—यदि किसी उम्मीदवार के पास किसी विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री हो जिसे सरकार से मान्यता प्राप्त न हो लेकिन यह उम्मीदवार यदि अन्यथा योग्य हो तो वह भी आवेदन कर सकता है और उसे भी आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

7. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के अनुबंध में निर्धारित फीस अवश्य देनी चाहिए।

8. पहले से ही सरकारी नौकरी में लगे हुए उम्मीदवार को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, परीक्षा में बैठने के लिए विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

9. कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र है या नहीं इस संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. जब तक किसी उम्मीदवार के पास परीक्षा में प्रवेश के लिए आयोग का प्रमाण-पत्र न हो तब तक, उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. किसी उम्मीदवार की ओर से किसी भी प्रकार के साधनों के द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए किया गया किसी भी प्रकार का प्रयास उसे प्रवेश के लिए आयोग कर देगा।

12. कोई भी उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए परारूप धारण करने या गढ़े हुए या छेड़े गए प्रलेख प्रस्तुत करने का या गलत या झूठे बयान देने का या सारवान सूचना छिपाने का या अन्य प्रकार से किन्हीं अन्य अनियमित या अनुचित साधनों को सहारा लेने का या परीक्षा भवन में बेजा तरीकों का उपयोग करने का या उपयोग का प्रयास करने का या परीक्षा भवन में अभद्र व्यवहार का दोषी हो या आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया हो, आपराधिक अभ्यारोपण का भागीदार बनने के साथ ही साथ,—

(क) स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए :—

(i) उम्मीदवारों को प्रवरण के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश से या लिए जाने वाले किसी इंटरव्यू में उपस्थित होने से आयोग द्वारा; और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन नौकरी से ; उसे वर्जित कर दिया जाएगा।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो उपयुक्त नियमावली के अन्तर्गत उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

13. आयोग स्वविवेक से लिखित परीक्षाओं के लिए जो न्यूनतम अर्हक अंक नियत करेगा, परीक्षा में उतने न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की व्यक्तित्व परीक्षण हेतु इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

14. परीक्षा के बाद आयोग, प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अंततः प्राप्त कुल अंकों के आधार पर बताए गए गुणानुक्रम से सभी उम्मीदवारों की सूची बनाएगा और परीक्षा के आधार पर जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरे जाने का निर्णय किया गया हो उतने उम्मीदवारों को उसी क्रम में नियुक्ति की सिफारिश करेगा।

शर्त यह है कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार के लिए भी सिफारिश की जा सकेगी जिसने यद्यपि किसी पद के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अर्हता प्राप्त न की हो किन्तु उसे उस पद में यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या आदिम जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त न पाया गया हो।

15. परीक्षा का परिणाम किस रूप में और किस भांति उम्मीदवारों को सूचित किया जाए इस बात का निर्णय आयोग स्वविवेक से करेगा और परिणाम के संबंध में आयोग उम्मीदवारों के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

16. उम्मीदवारों ने अपने आवेदन के समय विभिन्न पदों के लिए जो पसन्द जाहिर की होगी, परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियां करते समय उनकी उस पसंद का भी समुचित ध्यान रखा जाएगा।

17. आवश्यक जांच के बाद सरकार जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि लोक सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार सभी दृष्टि से उपयुक्त है तब तक परीक्षा की सफलता से उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

18. उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष न हो

जो उस सेवा के अफसर के रूप में उसके कर्तव्य पालन में बाधा डाले। यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक जांच के बाद जिस उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाएगा कि उसका स्वास्थ्य आवश्यक स्तर का नहीं है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। व्यक्तित्व परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों को जिस स्थान पर इन्टरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनकी शारीरिक जांच भी इन्टरव्यू के शीघ्र ही पहले या बाद में उसी स्थान पर की जाएगी। उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड को रु० 16.00 फीस देनी होगी। किसी उम्मीदवार की शारीरिक जांच की जा चुकी है इस बात का अर्थ या आशय यह नहीं होगा कि उसकी नियुक्ति के बारे में विचार किया जाएगा।

उम्मीदवारों को निराशा से बचने के लिए परामर्श दिया जाता है कि परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करने से पूर्व ही वे अपनी परीक्षा सिविल सर्जन की हैसियत के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से करालें। राजपत्रिता पदों पर नियुक्ति से पूर्व उम्मीदवार की किस प्रकार की स्वास्थ्य परीक्षा होगी, इसका और उस परीक्षा में अपेक्षित स्तरों का विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है। रक्षा सेवा के भूतपूर्व विकलांग कार्मिकों के लिए प्रत्येक पद की आवश्यकताओं के अनुरूप उक्त स्तरों में शिथिलता कर दी जाएगी।

19. कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विधिपूर्वक विवाह कर लिया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो; या

(ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विधिपूर्वक विवाह कर लिया हो;

नौकरी में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्तियों और दूसरे पक्ष को लागू होने वाली स्वधर्म विधि के अन्तर्गत इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी हैं, किसी भी व्यक्ति पर इस नियम के लागू किये जाने से छूट दे सकेगी।

20. जिन पदों के लिए इस परीक्षा द्वारा भरती की जा रही है, उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है।

आर० एस० अग्रवाल, अवर सचिव

---

## परिशिष्ट—1

1. परीक्षा का संचालन नीचे बताई गई योजना के अनुसार किया जाएगा।

भाग I—नीचे बताए अनुसार अनिवार्य और वैकल्पिक प्रश्न पत्र। इन प्रश्न पत्रों के लिए निर्धारित स्तर और पाठ्य विवरण इस परिशिष्ट की सूची में दिया गया है।

भाग II—जिन उम्मीदवारों को आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण हेतु बुलाया जाए उनका व्यक्तित्व परीक्षण जिसके अधिकतम अंक 200 होंगे। (कृपया नीचे पैरा 6 देखिए)

2. लिखित परीक्षा नीचे लिखे विषयों में होगी :—

| विषय | समय | अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| | (घंटे) | |
| (क) अनिवार्य | | |
| (1) अंग्रेजी निबन्ध | 1½ | 50 |
| (2) सामान्य अंग्रेजी | 1½ | 50 |
| (3) सामान्य ज्ञान और सामयिक मामले | 1½ | 50 |
| (4) विज्ञान का इतिहास | 1½ | 50 |
| (5) रेडियो भौतिकी | 3 | 100 |
| (6) इलेक्ट्रानिक सामग्री और अवयव | 3 | 100 |
| (7) अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रानिकी परिपथ | 3 | 100 |
| (8) विद्युत् और यांत्रिक इंजीनियरी | 3 | 100 (विद्युत् इंजीनियरी के लिए 60 अंक और यांत्रिक इंजीनियरी के लिए 40 अंक) |
| ख. वैकल्पिक :—निम्नलिखित विषयों में से कोई से विषय :— | | |
| (1) ध्वनि विज्ञान के सिद्धान्त | 3 | 100 |
| (2) संचरण लाइनें और जाल | 3 | 100 |
| (3) ऐन्टेना और तरंग संचरण | 3 | 100 |
| (4) गणित | 3 | 100 |
| (5) रेडार और सूक्ष्म तरंग इंजीनियरी, जिसमें नौ संचालन हेतु रेडियो सहायक यंत्र भी शामिल हैं। | 3 | 100 |
| (7) प्रसारण और टेलीविजन तंत्र | 3 | 100 |

3. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहिएं।

4. उम्मीदवारों को उत्तर स्वयं अपने हाथों से ही लिखने होंगे। किसी भी हालत में, उत्तर लिखने के लिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति (स्क्राइब) की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक नियत करेगा।

6. व्यक्तित्व परीक्षण में उम्मीदवार की नेतृत्व क्षमता, पहल करने की क्षमता, जिज्ञासा, व्यवहार पटुता और अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक और शारीरिक स्वस्थता व्यावहारिक उपयोग की शक्ति और चरित्र की सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7. कोरे मतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जाएंगे।

8. अस्पष्ट लिखावट के लिए, लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक काटे जा सकते हैं।

9. परीक्षा के सभी विषयों में क्रमबद्ध, प्रभावशाली और कम-से-कम शब्दों में विचारों की सफल अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा।

## परिशिष्ट I की अनुसूची

### स्तर और पाठ्य-विवरण

अंग्रेजी निबंध, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामयिक मामले, और विज्ञान के इतिहास के प्रश्नपत्रों का स्तर ऐसा रहेगा जैसा कि इंजीनियरी/विज्ञान के स्नातकों से अपेक्षित है। किसी भी विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं ली जाएगी।

रेडियो भौतिकी, इलैक्ट्रानिक सामग्री और अवयव अनुप्रयुक्त इलैक्ट्रानिक परिपथ तथा विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी के प्रश्नपत्र, भारतीय विश्वविद्यालयों की इंजीनियरी डिग्री के स्तर के रहेंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे पता चल सके कि उम्मीदवार ने प्रत्येक विषय की आधारभूत बातों को भलीभांति समझ लिया है या नहीं।

वैकल्पिक प्रश्नपत्रों का स्तर इस तरह का रखा जायेगा कि उनको हल करने के लिये उसी तरह के विशद ज्ञान की जरूरत रहेगी जैसी इंजीनियरी समस्याओं के हल के लिये आवश्यक रहती है;

(1) **अंग्रेजी निबन्ध** :—दिये गये अनेक विषयों में से एक पर निबंध अंग्रेजी में लिखा जाएगा।

(2) **सामान्य अंग्रेजी** उम्मीदवारों की अंग्रेजी समझने और लिख सकने की क्षमता को परखने के लिये प्रश्न पूछे जाएंगे। सारांश (समरी) और प्रेमी बनाने के लिये उद्धरण सामान्यतः दिये जायेंगे।

(3) **सामान्य ज्ञान और सामयिक मामले** :— इस पत्र में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जो सामयिक घटनाओं और दैनिक जीवन के अवलोकन और अनुभव संबंधी ज्ञान की परख करेंगे। इस प्रश्न पत्र में भारतवर्ष के इतिहास और भूगोल पर भी प्रश्न सम्मिलित किये जायेंगे।

(4) **विज्ञान का इतिहास** :— विज्ञान के उद्भाव और विकास का इतिहास।

महान वैज्ञानिक और विज्ञान के क्षेत्र में उनकी देन।

(5) **रेडियो भौतिकी** : चुम्बकत्व; परिभाषाएं और यूनिट; चुंबकीय प्रेरण; हिस्टेरेाइसिस; चुम्बकीय परिपथ।

विद्युत मापक, डाईइलैक्ट्रिक पदार्थ, चार्ज, प्रत्यावर्ती (आलटरनेटिंग) और दिष्ट (डायरैक्ट) धारा; ऐसे परिपथ जिनमें प्रतिरोध रहता है; प्रेरकत्व और संधारित्र; अनुनाद (रेजोनेन्स), वरणक्षमता (सिलेक्टिविटी पर का प्रभाव, धारा, वोल्टता और शक्ति संबंध।

समस्वरित और असमस्वरित ऐम्पलीफायर, दोलित्र (आसिलेटर), आवृत्ति स्थायित्व, आवृत्ति गुणक (मल्टीप्लायर) और हार्मोनिक जनित्र, माडुलक (माडुलेटर)

अभिग्रहण (रिसेप्शन) के सिद्धान्तः डायवर्सिटी अभिग्रहण, सुपरहेटेरोडाइन अभिग्राहित्र (रिसीवर)।

रेडियो टेलीग्राफ रेडियो टेलीफोन संचार और प्रसारण तंत्र, तरंग दैर्ध्य और शक्ति विचार, सिग्नल-शोर अनुपात संबंधी अपेक्षाएं, तरंग संचरण और प्रेषण (ट्रांसमिशन) के सिद्धान्त, एरियल, प्रदायक (फीडर) और सुमेलन (मैचिंग) युक्तियां।

आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और फेज मॉडुलन के सिद्धांत और संचार तंत्रों में उनके उपयोग।

भाषण और श्रवण :—उच्चारण (आर्टीकुलेशन) ध्वनिकी के मूलभूत सिद्धान्त।

(6) **इलैक्ट्रानिक सामग्री और अवयव**—विभिन्न प्रकार की चालक व डाईइलैक्ट्रिक सामग्री; पाइजोइलेक्ट्रिक और फेरोइलेक्ट्रिक सामग्री और ट्रांसड्यूसर; विभिन्न आकृति तथा समान परिपथ के सर्फटक क्रिस्टल।

विभिन्न प्रभार की चुंबकीय सामग्री और फेराइट —उनकी विशेषताएं और उपयोग, स्थायी चुंबक।

प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रेरक और ट्रांसफार्मर; उनके विभिन्न प्रभार, रचना सिद्धांत, विशेषताएं, कार्य और अनुप्रयोग।

विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उत्सर्जन तथा गति।

इलेक्ट्रानिक ट्यूब, जिनमें कैथोड रे ट्यूब तथा गन्ध विशेष उद्देश्य से काम आने वाली ट्यूबें, सूक्ष्म तरंग ट्यूबें, गैस और फोटो ट्यूबें शामिल हैं, रचना के सिद्धांत, विशेषताएं तथा प्ररूपी (टिपिकल) अनुप्रयोग।

अर्धचालक और उनके गुण-कार्य, अर्धचालक युक्तियां, जिन में, डायोड, सी० एस० आर० टनल डायोड, ट्रांजिस्टर तथा प्रकाश संबंधी (फोटो से सिटिव) युक्तियां शामिल हैं, मुद्रित परिपथ के मूलभूत सिद्धांत।

रिले : विद्युत चुंबकीय तथा उष्मीय प्रकार के; उनकी विशेषताएं; कार्य तथा अनुप्रयोग।

(7) **व्यावहारिक (एप्लाइड) इलेक्ट्रानिक परिपथ**—निम्नलिखित में निहित परिपथ सिद्धांत :—

निर्वात ट्यूब एम्पलीफायर, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिये ।

प्ररूपी परिपथ, पुनः प्रदाय (फीड बैक) विस्तृत-बैंड

एम्पलीफायर डी० सी० एम्पलीफायर ।

ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर प्ररूपी (टिपिकल) परिपथ । तापमान स्थायित्व के लिये डिजाइन ।

निम्न और उच्च आवृति दोलित्र, परम्परागत (कन्वेंशनल) परिपथ रिलेक्सेशन दोलित्र, आवृतिगुणक और विभाजक (डिवाइडरी) आवृति स्थायीकरण) स्पंद (पल्स) और प्रसर्प (स्वीप) परिपथ, गणक (काउंटिंग) परिपथ । मॉडुलक और विमाडुलक (डिरेक्टर्स) आयाम, आवृति, और फेज माडुलन ।

इलेक्ट्रानिक उपकरणों के शक्ति प्रदाय तंत्र—दिष्टकारी, फिल्टर, वोल्टता नियमित शक्ति प्रदाय (सप्लाइज) प्रेरणिक (इंडक्शन) तापन (हीटिंग) वेल्डन और विद्युत् मोटरों की चाल-नियंत्रण के औद्योगिक इलेक्ट्रानिक परिपथ ।

टेलीविजन अभिग्राहित्रों में प्रयुक्त प्ररूपी परिपथ ।

(8) **विद्युत् और यांत्रिक इंजीनियरी**

(क) विद्युत् इंजीनियरी—डी० सी० मोटर और जनित्र (जनरेटर)—उनके अभिलक्षणिक और सामान्य लक्षण, मोटर प्रवर्तक (स्टारटर)

प्राथमिक और द्वितीयक सेल ।

ए० सी० परिपथ शक्ति गुणांक, ट्रांसफार्मर, आल्टर्नेटर तुल्यकाली (सिन्क्रोनस और प्रेरण (इंडक्शन) मोटर, प्रवर्तक (स्टार्टिंग) युक्तियां ।

दिष्टकारी और घूर्णी परिवर्तित्र (रोटरी कन्वर्टर्स)

विद्युत् मापयंत्र और मापन—(डी० सी० और ए० सी० परिपथों में वोल्टता, धारा और शक्ति मापन, विभिन्न प्रकार के मापयंत्र और उनकी विशेषताएं । प्ररूपी (टिपिकल) ब्रिज ।

(ख) यांत्रिक (मेकेनिकल) इंजीनियरी:—पदार्थों के गुणाधर्म और सांद्रता, तनाव (टेंशन), संपीडन (कॉम्प्रेशन) और अपरूपण) (शियर) में प्रतिबल (स्ट्रेस) और विकृति (स्ट्रेन), हुक का नियम, प्रत्यास्थता के स्थिरांक (इलेस्टिक कान्सटेंट) धरनों में आधूर्ण बल ।

अन्तर (इंटर्नल) दहन (कम्बश्चन) इंजन—प्रमुख घटक एकक और कार्य सिद्धांत ।

सरल मशीनी औजार (मशीन टूल्स) और उनके उपयोग ।

शक्ति संचारण—बेल्ट और गियर चालन (ड्राइव), सीधा (डायरेक्ट)

युग्मन (कपलिंग), घर्षण नियम, स्नेहक (लुब्रिकेंट) और स्नेहन तंत्र

फेरस और नान-फेरस पदार्थ उनके गुण-धर्म ।

(9) **ध्वानिकी के सिद्धांत**

ध्वनि तरंग समीकरण, कंपमान (वायब्रेटिंग), तंत्र ध्वनि संचारण, विद्युत्-यांत्रिक—ध्वनिक परिपथ और फिल्टर ।

कक्ष ध्वानिकी, ध्वनि अवशोषण और रोधन (इन्सुलेशन) अनुरणन, प्रसारण स्टुडियो की डिजाइन

ट्रांसडयूसर:—माइक्रोफोन लाउडस्पीकर, डिजाइन अभिलक्षण, मापन और अंशाकंन (कैलीब्रेशन)

नियंत्रण, ध्वनि रोधन, मापन ।

श्रवण और वाक शक्ति मनो—ध्वानिक मानदंड, श्रव्यता मापी द्वारा मापन । उच्च तद्रूपता (फाइडेलिटी) तंत्र, डिस्क, चुंबकीय और फिल्म अभिलेखन और प्रतिश्रवण (प्लैबैक सिस्टम) ।

(10) **संचारण (ट्रांसमिशन) लाइन और जाल (नेटवर्क)**

दो टर्मिनल जाल: आर० एल० और सी० का संयोग, ट्रांसफार्मर के तुल्य जाल की प्रतिबाधा (इम्पीडेंस) । दो टर्मिनल जालों का विश्लेषण और संश्लेषण ।

चार टर्मिनल जाल, रैखिक (लीनियर) पैरामीटर—प्रतिबिंब (इमेज) और इटरेटिव पैरामीटर, टर्मिनेशन, हानि गुणांक निवेशन (इन्सर्शन) हानि । टैन्डम संबंध परावर्तन और अन्योन्य (इन्टरएक्शन) हानियां । टी० (T) और एच० (H) किस्म के क्षीणन (एटेनुऐशन) बैंड और सैतव (ब्रिज्ड) टी० (T) जाल स्टिर (कांस्टेंट) प्रतिरोध पुनरावृति (रिकरेंन्स) जाल—समकारी (इक्वेलाइजर) ।

तरंग फिल्टर, पारक (पास) और क्षीणन बैन्डों के लिये प्रतिबंध (कंडीशन्स), प्रतिबिम्ब (इमेज) पैरामीटर पर आधारित फिल्टर डिजाइन के सिद्धांत । एक समान के० (K) और एम० (M) व्युत्पन्न फिल्टर खंड (सैक्शन) । निम्न पारक (लोपास), उच्च पारक (हाइपास) और बैंड पारक फिल्टर (3, 4, 5 और 6 अवयव (एलीमेंट) वाले । मिश्र (काम्पोजिट) और पूरक (काम्प्लीमेंटरी) फिल्टर । फिल्टरों का समानांतरण (पेरेलिंग) क्षय (डिसिपेशन) और टर्मिनेशन का प्रभाव । आवृति और प्रतिबाधा प्रसामान्यीकरण (नार्मलाइजेशन) । निम्न पारक से उच्च पारक और बैंड फिल्टर की डिजाइनों में स्मांतरण (ट्रांसफार्मेशन) । विद्युत् तरंग फिल्टर डिजाइन के प्रारम्भिक सिद्धान्त ।

विद्युत् रेखा के गुण-धर्म, विद्यत् रेखाओं के आर० एल० सी० मात्रात्मक मूल्य । प्रेषण लाइन समीकरण, क्षणिन और फेज शिफ्ट । प्रेषण लाइन में परावर्तन, किसी भी ओर समाप्त रेखा का समीकरण, परावर्तन से हानियां और परावर्तन घटक । अप्रगामी तरंगें, संपूर्ण और आंशिक परावर्तन युक्त लाइनों की अवबाधा—वृत्त आरेख

निम्न आवृत्ति की संचारण लाइन, अभिलक्षण (कैरेक्टेरिस्टिक्स), टेलीग्राफ और टेलीफोन कार्य (पर्किंग) में विकृति (डिस्टार्शन)—लोडिंग ।

उच्च आवृत्ति संचारण लाइन, अभिलक्षणिक—खुले (ओपन) तार और संकेन्द्री (कान्सैंट्रिक) प्रदायक (फीडर), प्रतिबाधा अवयव के रूप में संचारण लाइन, अनुनादी (रेजोनेन्ट) लाइनें—एच० एफ० (H. F.) लाइनों का सुमेलन (मैचिंग)

11. **ऐन्टेना और तरंग संचरण प्रोपेगेशन**

विद्युत्—चुंबकीय समीकरण, विद्युत् चुंबकीय तरंगों का विकिरण (रेडियेशन) क्षेत्र (फील्ड) तीव्रता (इन्टेन्सिटी)।

विकिरण (रेडियेशन) आकृति (पैटर्न, विशात्मक तंत्र ऐन्टेनाओं की लब्धि (गेज), लंबी, माध्यम (मीडियम) लघु (शार्ट) तरंग और अति (बेरी) उच्च (हाई) आवृति (फ्रीक्वेन्सी) के विशात्मक ऐन्टेनाओं की व्यावहारिक डिजाइन। अभिग्राही (रिसीविंग) ऐन्टना तंत्र। दिशा (डायरेक्शन) निर्धारक (फोइन्डर) के ऐन्टेना।

रेडियो आवृत्ति संचारण लाइनें, युग्मक कपलिंग जाल (नैटवर्क), संचारण लाइनों का सुमेलन (मैचिंग), प्रदायक (फीडर) लाइनों और स्विचन तंत्रों के व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) डिजाइन।

संचरण—भूमिमार्गी, क्षोभ मंडलीय (ट्रोपोस्फेरिक) और आयन मंडलीय (आयनास्फेरिक), वायु वैद्युत क्षोफ (एटमास्फेरिक्स) और

क्षेत्र (फील्ड) तीव्रता (स्ट्रेन्थ) सम्बन्धी मापन।

(12) **गणित**

मूल (फंडामेंटल) धाराएं

फंक्शन—औसत दरें (रेट्स)—सीमाएं (लिमिट्स)

मूल (बेसिक) संक्रियाएं (आपरेशन)

अवकलज (डेरिवेटिव्ज)—अवकल (डिफरेंशियल) उच्चत्तर अवकलज

उच्चिष्ट (मैक्सिमा) और निम्नष्ठ (मिनिमा)—समाकल (इन्टीग्रल)—निश्चित (डेफिनिट) समाकल, आगे की संक्रियाएं।

समाकलन (इन्टीग्रेशन) तकनीकी—दि (डबल) समाकल, अनंत श्रेणी (सीरीज)

**परिभाषाएं**—गुणोत्तर (ज्यामेट्रिक) श्रेणी (सीरीज), अभिसारी (कानवर्जेंट) और अपसारी (डायवर्जेंट) श्रेणी—व्यापक (जेनरल) प्रमेय (थमोरम)—तुलना—परीक्षण—काची का समाकल (इंटीग्रल) परीक्षण काची का रेडिया परीक्षण—एकांतर (आल्टर्नेटिंग) श्रेणी—निरपेक्ष अभिसरण (कान्वर्जेंस) घात (पावर) श्रेणी—घात श्रेणियों संबंधी प्रमेय-फंक्शन की श्रेणियां और एक समान अभिसरण श्रेणियों का समाकलन (इंटीगेशन) और अवकलन (डिफरेंशियेशन)—टेलर की श्रेणियां टेलर की श्रेणियों का प्रतीकात्मक रूप—घात श्रेणियों द्वारा समाकलों का मूल्यांकन—मैकलारिन की श्रेणियों से व्युत्पन्न सन्निकट सूत्र (फारमूला)—फंक्शनों के परिकलन (काम्प्यूटेशन) के लिये श्रेणियों का उपयोग—अनिवार्य (इंन्डिटमिनेट) रूप लेने वाले फंक्शनों का मूल्यांकन। फंक्शनों का मूल्यांकन।

**सम्मिश्र (काम्प्लक्स) संख्याएं (नंबर)**

परिचय—संम्मिश्र संख्याएं—संम्मिश्र संख्याओं को बदलने (मेनीपुलेशन) के नियम-ग्राफी (ग्राफिक) निरूपण और त्रिकोणमितीय (ट्रिगनामेट्रिक) रूप (फार्म), घात और मूल (रूट्स)—एक्सपोनेंटी और त्रिकोणमितीय फंक्शन—अतिपरवलयिक (हायपरबोलिक) फंक्शन—लागेरिथमीय फंक्शन—प्रतिलोभ (इन्वर्स) अतिपरवलयिक और त्रिमोणमितीय फंक्शन।

आवर्ती (पीरियाडिक) घटनाओं (फिनामिना) का गणितीय निरूपण

**फूरिये श्रेणी और फूरिये समाकल**

परिचय-सरल आवर्त (हार्मोनिक) कंपन (वायब्रेशन)—अधिक जटिल आवर्ती घटनाओं का निरूपण, फूरिये श्रेणी—फंक्शनों के फूरिये प्रसार (एक्सपेंशन) के उदाहरण—फूरिये श्रेणी के अभिसरण के बारे में कुछ बातें—प्रभावी मान और गुणनफल का औसत माडुलित कंपन और विस्पंद (बीट) आवर्ती विक्षोभों का तरंगों के रूप में संचरण—फूरिये समाकल।

**एकघाती (लीनियर) बीजगणित समीकरण-डिटर्मिनेन्ट और मैट्रिक्स**

सरल डिटर्मिनेन्ट—मूल परिभाषाएं—लापलास प्रसार—डिटर्मिनेन्ट के मूल गणधर्म संख्यात्मक डिटर्मिनेन्टों का मूल्यांकन—मैट्रिक्स की परिभाषा—विशेष मैट्रिक्स—मैट्रिक्सों की समानता। जोड़ और घटाना—

मैट्रिक्सों का गुणनफल—मैट्रिक्सों का विभाजन।

पक्षांतरित (ट्रांसपोज्ड) और व्युत्क्रमित (रेसीप्रोकेटेड) गुणनफल का उत्क्रमण नियम उत्क्रम मैट्रिक्स—विकर्ण (डायगोनल) और तत्समकारी (यूनिट) मैट्रिक्सों—के गुणधर्म—मैट्रिक्सों का उपमैट्रिक्सों में विभाजन—विशेष प्रकार के मैट्रिक्स—एन (N) एकघाती समीकरणों का एन (N) अज्ञातों (अननोन) में हल।

**अचर (कांस्टेंट) गुणांकों (कोएफिसियेन्टों) वाले एकघाती (लीनियर) अवकल (डिफरेंशियल) समीकरण:—**

समानीत (रिड्यूस्ड) समीकरण, पूरक (काम्प्लीमेंटरी) फंक्शन—संकारक (आपरेटर) के गुणधर्म—अनिर्धारित (अनडिटर्मिन्ड) गुणांकों की विधि—सरल (सिम्पल) सीधा (डायरेक्ट) लाप्लास—अचर गुणांकों वाले एकघाती अवकल समीकरणों को हल करने की संक्रियात्मक (आपरेशनल) या रूपांतरण (ट्रांसफार्म) विधि—रूपांतरों (ट्रांसफार्मों) का सीधा परिकलन (कांम्प्यूटेशन) अचर गुणांकों वाले एकघाती अवकल समीकरणों का निकाय (सिस्टम)।

**अवकल समीकरणों के हल में उपयोगी लाप्लास रूपांतर**

अंकन पद्धति (नोटेशन)—मूल प्रमेय

**रैखिक (लीनियर) पिंडित (लम्ड) विद्युत् परिपथों के दोलन**

**विद्युत् परिपथ सिद्धांत** :—ऊर्जा आधारित विचार—सामान्य मालाबद्ध परिपथ का विश्लेषण—संधारित्र का चार्ज और विसर्जन (डिस्चार्ज)—परिमित (फाइनाइट) विभव (पोटेन्शियल) स्पंद का प्रभाव—सामान्य जाल (नेटवर्क) का विश्लेषण—स्थिर अवस्था के हल—प्रत्यावर्ती (आल्टरनेटिंग) धारा की स्थिर अवस्था के चारटर्मिनल वाले जाल—चारटर्मिनल जाल के रूप में संचारण लाइन।

**आंशिक अवकलन**

आंशिक अवकलन (डेरीवेटिव)—टेलर प्रसार का प्रतीकात्मक रूप—संयुक्त फलनों (फंक्शनों) का अवकलन—चरों (वेरिएबिलों) के परिवर्तन—प्रथम अवकल (डिफरेंशियल)—अस्पष्ट (इम्प्लिसिट) फंक्शनों का अवकलन—उच्चिष्ठ (मैक्सिमा) और

निम्निष्ठ (मिनिमा)—निश्चित (डैफिनेट) समाकल का अयकल–समाकल चिन्ह के अंतर्गत समाकलन–कुछ निश्चित समाकला का मूल्यांकन–विचरण (वैरियेशन) कलन (केल्कुलस) के मूल तत्व-विचरण कलन के प्रधान (फंडामेंटल) सूत्रों का साराश — हेमिल्टन का सिद्धान्त—लागरांजी समीकरण—गौण (एक्सैसरी) अवस्था (कंडीशन) वाले विचरण के प्रश्न–समपरिमापी (आइसोपेरिमेट्रिक) समस्याएं ।

### सदिश (वेक्टर) विश्लेषण

सदिश की धारणा—सदिशों को जोड़ना और घटाना–सदिश और अदिश (स्केलर) का गुणा–दो सदिशों का गुणनफल—दो सदिशों का सदिश गुणनफल–बहुल (मल्टीपिल) गुणनफल–समय की दृष्टि से (विथ रिस्पेक्ट आफ टाइम) सदिश का अवकलन-प्रवणता (ग्रेडिएन्ट)–डाइवर्जेन्स और गाउस का प्रमेय–सदिश क्षेत्र (फील्ड) का कर्ल और स्टाक का प्रमेय–संकारक का उत्तरोत्तर अनुप्रयोग–लंबकोणीय (आर्थोगोनल) वक्ररेखी निर्देशांक–हाइड्रोडाइनैमिक्स में अनुप्रयोग–ठोस पदार्थों में ऊष्मा प्रवाह के समीकरण–गुरुत्वीय विभव-मैक्सवेल के समीकरण–तरंग समीकरण–त्वाचिक प्रभाव या विसरण । समीकरण-टेन्सर (गुणात्मक परिचय) निर्देशांक रूपांतरण । आदेश, प्रतिचर (कन्ट्रावेरिएन्ट) सदिश, सहपरिवर्त (कोवेरिएन्ट) सदिश–जोड़ । टेन्सरों का गुणनफल और संकुचन (कान्ट्रेक्शन)—सदिश जोड़ । टेन्सरों का गुणनफल और संकुचन (कानट्रेक्शन) सहचारित (असोसियेटेड) टेन्सर-निश्चर (इन्वेरिएन्ट) का अवकलन–टेन्सरों का अवकलन-क्रिस्टोफेल के प्रतीक-उच्चतर कोटि के टेन्सरों के नैज (इन्ट्रिन्जिक) और सहपरिणत अवकलज (डेरीवेटिव्ज)–कण की गति की (डाइनैमिक्स) में टेन्सर विश्लेषण का अनुप्रयोग ।

### सम्मिश्र (काम्प्लेक्स) चर (वैरिएबल) के सिद्धान्त के मूलतत्व

सम्मिश्र चर के सामान्य कार्य-अवकलज (डेरीवेटिव) और काची और रीमन के अवकल समीकरण–सम्मिश्र फंक्शनों के रेखा समाकल–काची का समाकल प्रमेय–काची का समाकल सूत्र-टेलर की श्रेणियां–लारेन्ट की श्रेणियां । अवशेष (रेसिड्यूज) काची का अवशेष प्रमेय । विश्लेषी फंक्शन के विचित्र (सिंगुलर) बिन्दु-अनन्त के बिंदु–अवशेषों का मूल्यांकन–लियोविल का प्रमेय – निश्चित समाकलों का मूल्यांकन–जोर्डन का लाम्मा–बहुल समाकल–(वेल्यूड फंक्शन) ।

### संक्रियात्मक (आपरेशनल) और रूपात्मक विधियां

फूरिये–मेलिन का प्रमेय–मूल नियम–सरल (डायरेक्ट) रूपांतरों का परिकलन–व्युत्क्रम रूपांतरों का परिकलन–परिवर्तित समाकल, आवेगी (इम्पलसिव) फंक्शन । आंशिक अवकल समीकरणों के हल के लिये संक्रियात्मक कैलकुलस का अनुप्रयोग-समाकलों का मूल्यांकन, एक घाती समाकल समीकरणों के हल के लिये लाप्लास रूपांतरों का अनुप्रयोग-चर गुणांकों वाले सामान्य अवकल समीकरणों का हल, लाप्लास रूपांतरों की मदद से फूरिये श्रेणी का संकलन (समेशन) ।

### 13. रेडार और सूक्ष्म (माइक्रो) तरंग इंजीनियरी जिसमें यानसंचालन (नवीगेशन) में उपयोगी रेडियो सहायक यंत्र (एड्स) सम्मिलित हैं

सिद्धान्त, विभेदन (रिजोल्यूशन), यथार्थता और परास (कवरेज), रेडार की परास रेंज के समीकरण, रेडार के लिये उपयुक्त आवृतियां और विभिन्न प्रकार के रेडार उपस्कर (इक्विपमेंट) ।

स्पंद (पल्स) परिपथ और जाल, स्ट्रोब और गेटिंग परिपथ प्रिजेन्टेशन और संबंधित सरकिटरी के विविध प्रकार । माडुलक और उनके सिद्धान्त ।

रेडार अभिग्राही परिपथ

विभिन्न प्रकार के रेडार ऐन्टेना और प्रदाय (फीड) तंत्र । परावर्तक और उनकी डिजाइन । सूक्ष्म तरंग प्लम्बिंग, तरंग पथ निर्धारित (वेवगाइड) संचारण के तरीके (मोड), प्रतिबाधा सुमेलन (मैचिंग), चोक संधियां, दिशा युग्मक, टी आर (T.R.) युक्तियां ।

वी०एच०एफ० (V.H.F.) डायोड वॉल्विज, क्लाइस्ट्रान, मेग्नेट्रान, प्रगामी तरंग ट्यूब, दक्षता आरेख, वायुवाहित (एयर बोर्न) और भूमि आधारी (ग्राउंड बेस्ड) रेडार तंत्रों के सिद्धान्त और अभिलक्षणिक/दिशा निर्धारण (डायरेक्शन फाइंडिंग) के सिद्धान्त ।

यान संचालन तंत्रों जैसे लौरेन, डेक्का, डापलर के सिद्धान्त ।

इलेक्ट्रानिक तुंगतामापी (आल्टीमीटर) के सिद्धान्त ।

### 14. प्रसारण (ब्राडकास्टिंग) और टेलीविजन प्रणालियां (सिस्टम)

लंबी, मध्यम और लघु तरंगों तथा वी०एच०एफ० (V.H.F.) पर प्रसारण, परास (कवरेज), क्षेत्र तीव्रता, रव और विघ्न (इन्टरफरेन्स), भूमि मार्गी तरंग द्वारा संचरण, आकाश मार्गी तरंग द्वारा संचरण, फेडिंग की घटनाएं ।

स्टुडियो और सभा भवन, रव के स्तर, अनुरणन (रिवरबरेशन) ध्वनि स्तर और ध्वनि के वितरण, संवातन (वेन्टीलेशन) और प्रदीप्ति (इल्युमिनेशन) के दृष्टि से डिजाइन ।

स्टूडियो और नियंत्रण कक्ष उपस्कर, माइक्रोफोन-उत्पादन (आऊट पुट), प्रतिबाधा, ध्वनि स्तर, दिशात्मकता, रव और रुद्रूपता की दृष्टि से डिजाइन पर विचार । माइक्रोफोन का चयन । माइक्रोफोन से प्रेषित (ट्रांसमिटर) तक की ध्वनिक कड़ी (लिंग)–विशेष लक्षण और डिजाइन पर विचार । अभिलेखन (रिकार्डिंग) और प्रतिश्रवण (प्लेबैक) ।

प्रसारण प्रेषित, प्रसारण की आवश्यकताएं, पांडुलक, ऐम्प्लीफायर और शक्ति प्रदाय एकक (सप्लाय सिस्टम) ।

सुपरहेट्रेराडाइन, अभिग्रहण परिपथों की डिजाइन । प्रसारण अभिग्राहित्रों (रिसीवरों) में ट्रांजिस्टर ।

प्रसारण में आवृत्ति मांड्लन ।

कैमरों में टेलिविजन परिपथ, विन्यस्त मानक प्रारूपी प्रेषिक और अभिग्राहित्र, प्रकाश और स्टूडियो सम्बन्धी उपस्कर ।

## परिशिष्ट II

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा सम्बन्धी विनियम (ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, ताकि वे यह जान लें कि वे अपेक्षित शारीरिक योग्यता स्तर पर कहां तक पूरे उतरते हैं। इन विनियमों का एक उद्देश्य स्वास्थ्य परीक्षकों का मार्ग दर्शन करना है तथा जो उम्मीदवार विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी नहीं करते, उन्हें स्वास्थ्य परीक्षक द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता। अलबत्ता किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अयोग्य घोषित करते समय डाक्टरी बोर्ड को विशेष रूप से लिख कर दर्ज किए गए कारणों के आधार पर भारत सरकार को इस बात की सिफारिश करने का अधिकार होगा कि उसे सरकार की कोई हानि किए बिना सेवा में ले लिया जाए।

2. अलबत्ता यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जाए कि डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भारत सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा है।

1. नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से पूर्ण स्वस्थ हो और वह ऐसी किसी भी शारीरिक विकृति से मुक्त हो, जिससे उसे अपने पद के कर्त्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने में बाधा पड़ सकती हो।

(2) (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेरे के सहसंबन्ध के मामले में यह डाक्टरी बोर्ड के निर्णय पर छोड़ दिया गया है कि वह उम्मीदवारों का शारीरिक जांच के सम्बन्ध में मार्गदर्शन के लिए जो भी सहसम्बन्ध अंक सर्वाधिक उपयुक्त समझें उसका उपयोग करें। यदि कद, भार और छाती के घेरे के सम्बन्ध में कोई विषमता हो तो उस स्थिति में किसी उम्मीदवार को बोर्ड द्वारा योग्य अथवा अयोग्य घोषित किए जाने से पूर्व जांच और छाती के एक्सरे के लिए उस अस्पताल में भेजा जाना चाहिए।

(ख) तथापि कतिपय सेवाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम कद और छाती का घेरा नीचे दिए अनुसार है, जो न होने पर उम्मीदवार को सेवा में नहीं लिया जा सकता—

| | कद | छाती के घेरे का विस्तार (पूरी तरह फूली हुई) |
|---|---|---|
| समुद्रपार संचार सेवा की इंजीनियरी शाखा में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के पद | 152 सें० मी० | 84 सें० मी० 5 सें० मी० (पुरुषों के लिए) |
| | 150 सें० मी० | 79 सें० मी० 5 से० मी० (महिलाओं के लिए) |

गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नगालैंड के आदिवासी आदि जातियों के उम्मीदवारों के मामले में, जिनका औसत कद स्पष्टतः कम होता है, न्यूनतम निर्धारित कद में छूट दी जा सकती है।

3. उम्मीदवार का कद नीचे दिए अनुसार नापा जाएगा—

वह अपने जूते निकाल देगा और मापदंड के आगे खड़ा होगा, उसके पैर सटे हुए होंगे और वजन एड़ियों पर होगा न कि पंजों पर अथवा पैर के अन्य पार्श्वों पर, वह बिना तने हुए सीधा खड़ा होगा तथा उसकी एड़ियां पिंडलियां, कूल्हे और कन्धे मापदंड से सटे हुए होंगे तथा ठोडी कुछ इस प्रकार धंसी होगी, जिससे कि सिर का ऊपरी सिरा समस्तर शलाका के समान स्तर पर हो। कद सेंटीमीटरों में दर्ज किया जाएगा तथा एक सें० मी० का अंश आधे सें० मी० के बराबर माना जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती का माप नीचे निर्दिष्ट रीति से लिया जाएगा :—

उसे सीधा खड़ा किया जाएगा, उसके पैर सटे हुए होंगे तथा उसकी बाहें सिरे के ऊपर उठी हुई होंगी। फीते को छाती के चारों ओर इस प्रकार रखा जाएगा कि उसका ऊपरी सिरा पीछे की ओर कन्धे की हड्डी के निचले कोणों से छू रहा हो तथा जिस समय फीते को छाती के चारों ओर ले जाया जाए, वह उसके समतल पर हो। तत्पश्चात बाहें नीचे कर ली जाएंगी जिससे कि वे बगल में ढीली झूलती रहें। साथ ही इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि कन्धे ऊपर या नीचे न उठने पाएं, जिससे फीता अपने स्थान से हट जाए। इसके बाद उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिकतम विस्तार को सावधानी लेखबद्ध कर लिया जाएगा और न्यूनतम तथा अधिकतम विस्तार सेंटीमीटरों में यथा 84,89,86, 93. 5 आदि, दर्ज किया जाएगा। नाप दर्ज करते समय आधे सें० मी० से कम अंश लेखबद्ध न किए जाएं।

**ध्यान दें** : अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पूर्व उम्मीदवार के कद और छाती का माप दो बार लिया जाना चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जाएगा तथा उसका वजन किलोग्रामों में दर्ज किया जाएगा, आधे किलोग्राम के अंश दर्ज नहीं किए जाने चाहिए।

6(क) उम्मीदवार की नजर की जांच नीचे निर्दिष्ट नियमों के अनुसार की जाएगी और प्रत्येक जांच परिणाम को दर्ज किया जाएगा।

(ख) बिना चश्में के आंख की न्यूनतम नजर की कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक मामले में डाक्टरी बोर्ड अथवा अन्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चश्में के बिना उम्मीदवार की आंख की नजर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी, क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे आधारभूत जानकारी प्राप्त होगी।

(ग) चश्में के साथ अथवा बिना चश्में के दूर और पास की नजर के लिए निम्नलिखित मान निर्धारित किए गए हैं :—

| दूर की नजर | | पास की नजर | |
|---|---|---|---|
| अच्छी आंख (चश्मे के साथ) | खराब आंख (चश्मे के साथ) | अच्छी आंख (चश्मे के साथ) | खराब आंख (चश्मे के साथ) |
| 6/6 | अथवा | 6/12 जे० I जे० II | |
| 6/9 | | 6/9 | |

(घ) निकट दृष्टि वाले प्रत्येक मामले में बुध्न परीक्षा की जानी चाहिए, तथा परिणाम लेखबद्ध किए जाने चाहिए। कोई ऐसा नेत्रविकार होने की स्थिति में, जिसके उत्तरोत्तर बढ़ने की सम्भावना हो और जिससे उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर असर पड़ सकता हो, उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

निकट दृष्टि की कुल मात्रा (सिलेण्डर सहित) —4.00 डी से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूर दृष्टि की कुल मात्रा (सिलेण्डर सहित) +4.00 डी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ) **दृष्टि-क्षेत्र**—समस्त सेवाओं के सम्बन्ध में दृष्टि क्षेत्र की जांच अभिमुख परीक्षण विधि से की जाएगी। जब इस प्रकार की जांच से असन्तोषजनक अथवा संदिग्ध परिणाम प्राप्त हो तो दृष्टि क्षेत्र का निर्धारण परिमापी पर किया जाएगा।

(च) **रतौंधी**—मोटे तौर पर रतौंधी दो प्रकार की होती है। (1) विटामिन की कमी के परिणामस्वरूप तथा (2) रेडिना के कायिक रोग के परिणाम स्वरूप जिसका कि सामान्य कारण रेटिनाइटिस पिग्मेंटोजा होता है। पहले प्रकार में बुध्न सामान्य होता है यह सामान्यत: कम आयु वर्ग में तथा ऐसे व्यक्तियों में देखा जाता है, जिनका पोषण ठीक रीति से नहीं हुआ। इसमें सुधार बड़ी मात्रा में विटामिन ए लेने से होता है। दूसरे प्रकार में अकसर बुध्न की शिकायत भी रहती है और केवल बुध्न की परीक्षा करने से ही अधिकांश मामलों में रतौंधी का पता चल जाता है। इस श्रेणी का रोगी वयस्क होता है और जरूरी नहीं है कि वह कुपोषण से पीड़ित हो। सरकार में ऊंचे पदों पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति इसी श्रेणी में आते हैं। दोनों (1) और (2) के लिए तमोनुकूलन परीक्षण से रतौंधी का पता चल जाएगा। जहां तक (2) का सम्बन्ध है, विशेष रूप से जब बुध्न से आक्रान्त नहीं होता इलेक्ट्रोरेटीनोग्राफी करने की आवश्यकता होती है। इन दोनों परीक्षणों में (तमोनुकूलन परीक्षण और रेटिनोग्राफी में) काफी समय खर्च होता है और इनके लिए विशेष व्यवस्था और उपस्कर की आवश्यकता होती है। अत: डाक्टरी परीक्षण में नेमी परीक्षण के तौर पर ये परीक्षण करने संभव नहीं होते। इन तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह सूचित करना मन्त्रालय/विभाग का काम है कि आया रतौंधी के लिए ये परीक्षण करने की आवश्यकता है या नहीं। यह बात कार्य की अपेक्षाओं तथा भावी सरकारी कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले कर्त्तव्यों की प्रकृति पर निर्भर करेगी।

(छ) **रंग दृष्टि**—(i) सभी पदों के सम्बन्ध में रंग दृष्टि की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी।

(ii) रंग-बोध का वर्गीकरण उच्च और निम्न वर्गों में किया जाएगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि लैंटर्न के द्वारक का आकार नीचे सारणी में निर्दिष्ट आकारों में से कौन सा है :—

| वर्ग | रंग भेद का उच्च वर्ग | रंगभेद का निम्न-वर्ग |
|---|---|---|
| लैंप और उम्मीदवारों के बीच दूरी | 16′ | 16′ |
| (2) द्वारक का आकार | 1.3 मि० मी० | 13 मि० मी० |
| (3) उद्भासन का समय | 5 सें० | 5 सें० |

जिन सेवाओं का सम्बन्ध सार्वजनिक सुरक्षा से है उनके लिए रंग दृष्टि का उच्च वर्ग होना परमावश्यक है, लेकिन अन्य सेवाओं के लिए रंग दृष्टि का निम्नवर्ग पर्याप्त समझा जाए।

(iii) संतोषजनक रंग दृष्टि तब होती है जब लाल संकेत, हरे संकेत और अन्य रंगों को सरलता से तथा तत्काल पहचाना जा सके। रंग दृष्टि के परीक्षण के लिए इशिहारा की प्लेटों जिन्हें अच्छे प्रकाश में दिखाया जाएगा और एडरिज ग्रीन की लालटेन जैसी उपयुक्त लालटेन पर पर्याप्त रूप से निर्भर किया जा सकता है। यद्यपि साधारणत: सड़क, रेल अथवा वायु-यातायात से सम्बन्ध रखने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में दोनों में से कोई भी परीक्षण पर्याप्त माना जा सकता है यह अत्यावश्यक है कि लैंटर्न द्वारा परीक्षण किया जाए। संदिग्ध मामलों में जहां कोई उम्मीदवार दोनों में से कोई एक परीक्षण किए जाने पर परीक्षण में पूरा नहीं उतरता हो, वहां दोनों परीक्षण किए जाएं।

(ज) दृष्टि तीक्ष्णता से भिन्न नेत्र दशाएं—

(i) कोई भी ऐसा कायिक रोग अथवा वर्धमान अपवर्तन त्रुटि, जिससे दृष्टि की तीक्ष्णता कम होने की संभावना हो अनर्हता मानी जाए।

(ii) **भेंगापन**—क्योंकि द्विनेत्री दृष्टि होना अनिवार्य भेंगापन है, अत: चाहे प्रत्येक आंख की दृष्टि-तीक्ष्णता निर्धारित मान के बराबर होने पर अनर्हता माना जाए।

(iii) **एक आंख**—डाक्टरी बोर्ड श्रेणी I और श्रेणी II पदों पर नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्तियों की सिफारिश कर सकता है, यदि उसे इस बात का संतोष हो कि वह जिस पद के लिए उम्मीदवार है उसके सारे कार्य निष्पन्न कर सकता है तथा अच्छी आंख की दृष्टि तीक्ष्णता दूर की नजर के लिए 6/6 हो अगर पास की नजर के लिए 0.6 हो और अपवर्तन त्रुटि +4.00 डी अथवा —4.00 डी से अधिक न हो अगर अच्छी आंख के बुध्न में किसी प्रकार की कोई असामान्यता दृष्टिगोचर न हो। दृष्टि-मान में यह ढील केवल एक आंख वाले व्यक्तिय के सम्बन्ध में लागू होती है और यह ढील उनकी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए दी गई है। यह ढील उन व्यक्तियों के लिए नहीं है, जिनकी दृष्टि द्विनेत्री है।

(iv) **संस्पर्श लेन्स**—उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा के दौरान संस्पर्श लेन्सों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आवश्यक है कि जब नेत्र परीक्षण किया जाए, दूर की नजर के लिए टाइप अक्षरों की प्रदीप्ति 15 फुट कैंडल हो।

7. **रक्त दाब**—रक्त दाब के सम्बन्ध में बोर्ड अपने विवेक से काम लेगा। सामान्य अधिकतम प्रकुंचन दाब निकालने की स्थूल रीति इस प्रकार है :—

(i) 15-25 वर्ष की आयु वाले युवा व्यक्तियों के लिए औसत दाब आयु+100 है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों के लिए आयु के आधे के साथ 110 जमा करने का सामान्य नियम काफी संतोषजनक जान पड़ता है।

**ध्यान दें**—सामान्य नियम यह है कि 140 मि० मी० से अधिक प्रकुंचन दाब तथा 90 मि० मी० से ऊपर अनुशिथिलन दाब को सन्देहजनक को समझा जाए तथा उम्मीदवार के योग्य अथवा अन्यथा होने के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय देने से पूर्व बोर्ड द्वारा उसे अस्पताल में रखा जाए। अस्पताल में रखे जाने की रिपोर्ट में यह निर्देश किया जाए कि रक्त दाब में वृद्धि क्षणस्थायी है और उत्तेजना आदि का परिणाम है अथवा यह किसी कायिमक रोग के कारण है। ऐसे समस्त मामलों में हृदय का एक्सरे और विद्युत हृदय लेखन के साथ साथ मूत्र शर्करा उत्सर्जन परीक्षण भी नेमी रूप में किया जाए। बहरहाल उम्मीदवार के स्वस्थ अन्यथा होने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय केवल डाक्टरी बोर्ड पर निर्भर करता है।

**रक्त दाब मालूम करने का तरीका**

नियमत: इस कार्य के लिए पारद दाबांतरमापी किस्म का उपकरण इस्तेमाल करना चाहिए। माप किसी भी हालत में कसरत या उत्तेजना से 15 मिनट के अन्दर नहीं लिया जाना चाहिए। बशर्ते कि रोगी और विशेष रूप से उसकी बांह आराम में हो। वह लेट या बैठ सकता है। बांह जिस ओर रोगी हो उस ओर कम या अधिक पड़ी हुई स्थिति में होनी चाहिए और किसी न किसी चीज पर सुखपूर्वक टिकी हुई हो। बाह पर कन्धे तक कोई वस्त्र नही होना चाहिए। कफ को पूरी तरह हवा निकाल कर इस प्रकार बांधा जाए कि रबड़ का बीच का सिरा बांह के भीतरी हिस्से पर आए तथा इसका निचला सिरा कुहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर हो। बाद में कपड़े की पट्टी के जो लपेट हों उन्हें बैग पर एक सा फैला दिया जाए, जिससे कि हवा भरते समय वह फूल न जाए। प्रगण्ड धमनी का स्थान कोहनी के मोड़ पर होने वाली धड़कन से मालूम किया जाता है। तत्पश्चात उस पर स्टेथोस्कोप नीचे की ओर धीरे से और बीचोंबीच रखा जाता है, लेकिन वह कफ का संस्पर्श नहीं करता। कफ में लगभग 200 मि० मी० पारद दाब तक हवा भर दी जाती है तथा तब धीरे-धीरे हवा निकाल ली जाती है। जिस समय एक के बाद दूसरी धीमी विस्पंद ध्वनियां सुनाई देती हैं उस समय स्तम्भ की लम्बाई जिस तल पर होती है वह तल प्रकुंचन दाब का द्योतक है। जब और हवा निकलने दी जाती है विस्पंद ध्वनियों की तीव्रता बढ़ जाती है। जिस तल पर साफ सुनाई दे रही ध्वनियां धीमी, दबी हुई और क्षीण होती हुई ध्वनियों में बदल जाती हैं वह अनुशिथिलन दाब का द्योतक है। माप बहुत थोड़े समय के अन्दर लिया जाना चाहिए। क्योंकि देर तक कफ से जकड़ा रहने के कारण रोगी परेशान हो जाता है और इससे पाठ्यांकों के गलत हो जाने की सम्भावना हो जाती है। यदि आवश्यक जान तो पुन: जांच की जा सकती है। लेकिन यह कफ की पूरी हवा निकाल देने के कुछ मिनट बाद की जानी चाहिये। (कई बार कफ की हवा निकालते समय एक निश्चित तल पर ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है, जैसे-जैसे दाब गिरता जाता है, वे गायब होने लगती है और फिर और नीचे तल पर पुन: सुनाई पड़ती है। इस निस्तब्ध अंतराले के कारण पाठ्यांकन में त्रुटि हो सकती है।

8. मूत्र (परीक्षक की उपस्थिति में किया गया) की जांच की जाए और जो परिणाम प्राप्त हों, उन्हें लेख बद्ध कर लिया जाए। जहां सामान्य रासायनिक परीक्षण किए जाने पर उम्मीदवार के मूत्र में शर्करा उपस्थित पाई जाए, वहां डाक्टरी बोर्ड मूत्र परीक्षा के अन्य सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जांच जारी रखेगा और साथ ही विशेष रूप से मधुमेह होने के प्रत्येक संकेत अथवा लक्षण को नोट करेगा। यदि सिवाय ग्लूकोजमेह के बोर्ड यह पाए कि उम्मीदवार डाक्टरी तौर पर स्वस्थता के अपेक्षित मानदण्ड पर पूरा उतरता है तो वह उम्मीदवार को 'ग्लूकोजमेह के मधु मेह से भिन्न होने पर स्वस्थ घोषित कर सकता है। तत्पश्चात् बोर्ड उम्मीदवार को निर्दिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञ के पास, जिसे अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध हों, भेजेगा। चिकित्सा विशेषज्ञ मानक रक्त शर्करा सहायता परीक्षण सहित जो भी नेदानिक और प्रयोगशाला परीक्षण करना उचित समझेगा करेगा तथा अपनी राय डाक्टरी बोर्ड को प्रस्तुत करेगा, डाक्टरी बोर्ड उम्मीदवार के स्वस्थ होने या न होने के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय प्राप्त हुई राय के आधार पर देगा। उम्मीदवार को दूसरी बार डाक्टरी बोर्ड के आगे पेश नहीं होना पड़ेगा। अलबत्ता औषधियों के प्रभाव के निवारण के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में कई दिन कठोर निगरानी में रखना आवश्यक हो सकता है।

9. परीक्षणों के परिणामस्वरूप यदि किसी महिला उम्मीदवार को 12 सप्ताह या अधिक समय से गर्भवती पाया जाए तो उसे जब तक उसका प्रसव काल समाप्त नहीं हो जाता अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। प्रसूति की तारीख के छह सप्ताह बाद रजिस्टर्ड चिकित्सक से अपने स्वस्थ होने का डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वस्थता प्रमाण पत्र के लिए उसकी पुन: जांच की जाएगी।

10. निम्नलिखित बातें और देखी जाएं :—

(क) उम्मीदवार के प्रत्येक कान की श्रवण शक्ति अच्छी है और कान का कोई रोग होने के कोई लक्षण नहीं है। यदि श्रवण शक्ति दोषपूर्ण हो तो उस हालत में उसके कानों की जांच कर्ण चिकित्सक से कराई जाए। अगर श्रवण शक्ति का दोष शल्य क्रिया से ठीक हो सकता हो अथवा श्रवण सहायक के उपयोग से किया जा सकता हो तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि वह कान के किसी ऐसे रोग से पीड़ित न हो, जो बढ़ रहा हो।

(ख) उसके बोलने में कोई अवरोध नहीं है,

(ग) उप पुरुष/महिला के दांत स्वस्थ हैं और चबाने का काम अच्छी तरह से करने के लिए आवश्यकतानुसार नकली दांत लगे हैं। (ठीक प्रकार से भरे गए दातों को स्वस्थ माना जाएगा)।

(घ) कि उसकी छाती अच्छी तरह से निर्मित है और उसका विस्तार पर्याप्त है, और उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।

(ङ) कि उसे कोई उदरीय रोग नहीं है।

(च) कि उसे हर्निया (रपचर्ड) नहीं है।

(छ) कि उसे हाइड्रोसील, उग्र वृषणशिरापस्फीति, अपस्फीत, शिरा अथवा बवासीर तो नहीं है।

(ज) कि उसके अंग, हाथ और पाद ठीक प्रकार से निर्मित और विकसित हैं और उसके सभी जोड़ों में निर्बाध और दोषरहित गति हैं।

(झ) कि उसे कोई चिरकालिक त्वचा रोग नहीं है।

(ञ) कि उसके शरीर में कोई जन्म जात विकृति अथवा दोष नहीं है।

(ट) कि उसमें किसी ऐसे उग्र अथवा चिरकारी रोग के लक्षण नही हैं जिनसे ऐसा लगे कि उसका गठन खराब हो गया है।

(ठ) कि उसके शरीर पर सफल चेचक के टीके के चिह्न हैं।

(ड) कि वह संचारी रोगों से मुक्त है।

हृदय और फेफड़ों की किसी ऐसी असामान्यता का, जिसका साधारण शारीरिक जांच से पता नहीं लग सकता है, पता लगाने के लिए छाती का एक्सरे चित्र सभी मामलों में नेमी रूप से लिया जाना चाहिए।

12. यदि किसी दोष का पता चले तो उसे प्रमाण पत्र में अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए तथा स्वास्थ्य परीक्षक को इस सम्बन्ध में अपना मत देना चाहिए कि क्या यह दोष उम्मीदवार से अपेक्षित ड्यूटियों के कुशल निष्पादन में बाधा का कारण बन सकता है अथवा नहीं।

**टिप्पणी** :—उम्मीदवार को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त पदों के सम्बन्ध में उनके शारीरिक स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किए गए विशेष अथवा स्थायी चिकित्सा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं होगा। फिर भी यदि सरकार के सामने प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि पहले बोर्ड के निर्णय में त्रुटि की सम्भावना हो सकती है तो ऐसी स्थिति में सरकार दूसरे बोर्ड के लिए अपील स्वीकार कर सकती है। इस प्रकार के साक्ष्य उस पत्र की तारीख के एक मास के अन्दर प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिसमें पहले चिकित्सा बोर्ड के निर्णय की सूचना उम्मीदवार को दी गई है अन्यथा दूसरे बोर्ड के लिए कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

यदि कोई उम्मीदवार पहले बोर्ड के निर्णय में त्रुटि की सम्भावना के साक्ष्य में कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तो उस प्रमाण पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसमें चिकित्सक की इस आशय की टिप्पणी शामिल नहीं होगी कि प्रमाण-पत्र इस तथ्य की पूर्ण जानकारी में दिया गया है कि उम्मीदवार चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवा के लिए शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अस्वीकृत किया गया है।

## चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट

स्वास्थ्य परीक्षक के मार्ग निर्देशन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जा रही है :—

1. शारीरिक स्वस्थता के लिए जो मानक अपनाए जाएं उनमें सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए तब तक योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह यथा स्थिति सरकार अथवा नियोक्ता प्राधिकारी को इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट नही कर लेता है कि उसे कोई ऐसा रोग, रचनात्मक विकृति अथवा शारीरिक अशक्तता नहीं जिसके कारण वह इस सेवा के लिए अयोग्य है अथवा अयोग्य होने की सम्भावना है।

इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि शारीरिक स्वस्थता का अर्थ वर्तमान और भावी स्वस्थता दोनों से है और डाक्टरी परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि ऐसे उम्मीदवार चुने जाएं जो निरन्तर प्रभावी सेवा के योग्य हों और स्थायी नियुक्ति के मामलों में उन्हें जल्दी पेंशन देने तथा असमय मृत्यु के कारण अदायगियों से बचा जा सके। इसके साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि प्रश्न निरन्तर प्रभावी सेवा की सम्भावना का है और किसी उम्मीदवार को किसी ऐसे दोष के आधार पर अस्वीकृत न किया जाए जो केवल बहुत ही कम मामलों में निरन्तर प्रभावी सेवा में बाधा का कारण पाया गया है।

जब कभी किसी महिला उम्मीदवार की परीक्षा की जानी होगी तब किसी महिला डाक्टर को चिकित्सा बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखी जानी चाहिए।

जब किसी उम्मीदवार को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाए जब तक चिकित्सा बोर्ड द्वारा बताए गए दोष का विस्तृत ब्योरा दिए बिना अस्वीकृति के कारण मोटे तौर पर उम्मीदवार को सूचित किया जा सकता है।

यदि चिकित्सा बोर्ड के विचार में किसी मामले में सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार की अयोग्यता का कारण ऐसी अशक्तता है जो उपचार (चिकित्सा अथवा मूल्य चिकित्सा) से ठीक हो सकती है तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा बोर्ड को इस आशय की टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा बोर्ड का मत उम्मीदवार को सूचित किए जाने पर कोई आपत्ति नही है और जब उम्मीदवार रोग मुक्त हो जाए तब सम्बन्धित प्राधिकारी उम्मीदवार को दूसरे चिकित्सा बोर्ड के पास भेज सकता है।

जिन उम्मीदवारों को "अस्थायी रूप से अयोग्य" घोषित किया जाता है उनके मामले में दुबारा परीक्षा की अवधि सामान्यता छः मास से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्दिष्ट अवधि के बाद इन उम्मीदवारों की दुबारा परीक्षा किए जाने पर उन्हें और अधिक अवधि के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए अपितु नियुक्ति के लिए उनकी स्वस्थता अथवा अस्वस्था के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय दिया जाना चाहिए।

### (क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

उम्मीदवार को अपनी स्वास्थ्य परीक्षा से पहले निम्नलिखित कथन देना चाहिए और उसी के साथ संलग्न घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए। निम्नलिखित टिप्पणी में दी गई चेतावनी की ओर उसका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :—

1. अपना पूरा नाम लिखें (स्पष्ट अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म का स्थान लिखें

2. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैंड की आदिमजाति जैसी ऐसी किसी जाति के सदस्य हैं जिनका औसत कद निश्चित रूप से कम होता है? उत्तर "हां" या नहीं में होना चाहिए। यदि उत्तर 'हां' में है तो जाति का नाम लिखें—

3 (क) क्या आपको कभी चेचक, विरामी अथवा अन्य किसी प्रकार का ज्वर, ग्रंथियों का विवर्धन अथवा पूयता, थूक

में खून, दमा, हृदयरोग फेफड़ों का रोग, मूर्च्छा, रूमेटिज्म, ऐपेण्डिसाइटिस का रोग हुआ है ? अथवा

(ख) क्या कोई अन्य रोग अथवा दुर्घटना हुई है जिसके कारण आपको बिस्तर पर पड़े रहने और चिकित्सा अथवा शल्य चिकित्सा करवाने की आवश्यकता पड़ी है ?

4. पिछली बार चेचक का टीका कब लगा था ?

5. क्या आप कभी अधिक कार्य अथवा किसी अन्य कारण से अधीरता के शिकार हुए हैं ?

6. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्योरा दें ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| पिता यदि जीवित हैं तो उनकी आयु और स्वास्थ्य | मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण | जीवित भाइयों की संख्या, उनकी आयु और स्वास्थ्य | |
| मृत भाइयों की संख्या और मृत्यु के समय उनकी आयु तथा मृत्यु का कारण | मां यदि जीवित है तो उनकी आयु और स्वास्थ्य | मृत्यु के समय मां की आयु और मृत्यु का कारण | |
| जीवित बहनों की संख्या, उन की आयु और स्वास्थ्य | मृत बहनों की संख्या और मृत्यु के समय उनकी आयु तथा मृत्यु का कारण । | | |

7. क्या आपकी पहले किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की गई है ?

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' तो कृपया बताएं कि किस सेवा (किन सेवाओं)/पद (किन पदों) के लिए आप की स्वास्थ्य परीक्षा ली गई थी ?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?——

10. चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षा कब और कहां की गई थी ?

11. चिकित्सा बोर्ड की परीक्षा का परिणाम, यदि आपको सूचित किया गया था अथवा आपको उसकी जानकारी है । मैं घोषणा करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है उपर्युक्त उत्तर सत्य और सही है ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

**टिप्पणी** : उपर्युक्त कथन के सही होने के लिए उम्मीदवार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा । किसी सूचना को जान बूझ कर दबाने से उसकी नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है और यदि वह नियुक्त किया जा चुका होगा तो निवर्तन भत्ते और उपदान के सभी दावे जब्त कर लिए जाएंगे ।

(ख) ..... की शारीरिक जांच के सम्बन्ध में चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट ।

1. सामान्य विकास : अच्छा ..... साधारण ..... खराब .....

पोषण कृश ..... औसत ..... स्थूल .....

कद (बिना जूतों के) ..... वजन ..... उत्तम वजन ..... कब ..... वजन में हाल ही में हुआ कोई परिवर्तन ..... तापमान .....

छाती का घेरा .....

(1) पूरे प्रश्वसन के बाद

(पूरे निःश्वसन के बाद

2. त्वचा : कोई स्पष्ट रोग ———

3. आंख : (1) कोई रोग

(2) रतौंधी

(3) रंग दृष्टि में दोष

(4) दृष्टि क्षेत्र

(5) दृष्टि तीक्ष्णता

(6) बुध्न परीक्षा

| दृष्टि तीक्ष्णता | बिना चश्मे के | चश्मे के बाद | चश्मे का नम्बर गोल बेलन अक्ष Sph Cyl Axis |
|---|---|---|---|
| दूर दृष्टि | | | |
| दाहिनी आंख | | | |
| बांई आंख | | | |
| निकट दृष्टि | | | |
| दाहिनी आंख | | | |
| बांई आंख | | | |
| दूर दृष्टिता (स्पष्ट) | | | |
| दाहिनी आंख | | | |
| बांई आंख | | | |

4. कान : निरीक्षण ..... श्रवण ..... दाहिना कान ..... बांया कान ।

5. ग्रन्थियां ..... थाइराइड .....

6. दांतों की हालत

7. **श्वसन तंत्र** : क्या शारीरिक जांच से श्वसन अंगों में किसी अपसामान्यता का पता चलता है ? .....

यदि किसी अपसामान्यता का पता चलता है तो उसे पूरी तरह स्पष्ट करें .....

8. **परिसंचरण तंत्र** :

(क) **हृदय** : कोई आंगिक विज्ञति दर ..... खड़े रहने की स्थिति में 25 बार उछलने के बाद उछलने के 2 मिनट के बाद ।

(ख) रक्त दाब : प्रकुंचन ..... अनुशिथिलन .....

9. उदर घेरा दाब वेदना हर्निया ।

(क) स्पर्श गोचर ..... यकृत ..... प्लीहा ...
वृक्क ..... अर्बुद .....

(ख) बवासीर ..... नाल व्रण .....

10. तन्त्रिका तन्त्र : अधीरता अथवा मानसिक निर्बलता के लक्षण .....

11. चलन तंत्र . कोई अपसामान्यता —

12. जनन मूत्र तंत्र : हाइड्रोसील, वृषण शिरापस्फीति आदि के लक्षण :

**मूत्र विश्लेषण**

(क) भौतिक रूप ..... (ख) विशिष्ट गुरुत्व ....

(ग) ऐल्ब्यूमन ..... (घ) शर्करा .....

(ङ) निर्मोक ..... (च) कोशिकाएं .....

13. छाती की एक्सरे-परीक्षा की रिपोर्ट .....

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में ऐसी कोई बात है जिसके कारण उसकी उस सेवा की, जिसका वह उम्मीदवार है, ड्यूटियों के कुशल के निष्पादन के लिए अयोग्य होने की सम्भावना हो सकती है ?

15. उम्मीदवार की किन-किन सेवाओं के लिए स्वास्थ्य परीक्षा हो चुकी है और किन के लिए वह अपनी ड्यूटियों के कुशल एवं निरन्तर पालन के लिए सब प्रकार से योग्य पाया गया है तथा किन के लिए अयोग्य पाया गया है ?

16. क्या उम्मीदवार युद्ध सेवा के योग्य है :

**टिप्पणी** : बोर्ड को अपने निष्कर्ष निम्नलिखित तीन श्रेणियों में से किसी एक के अन्तर्गत दर्ज करने चाहिए ।

(i) योग्य .....

(ii) .....के कारण अयोग्य ।

(iii) .....के कारण अस्थायी योग्य ।

अध्यक्ष

सदस्य

स्थान

तारीख

## परिशिष्ट II

इस परीक्षा के द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में संक्षिप्त विवरण :—

1. इंजीनियर (श्रेणी I) बेतार, योजना और समन्वय स्कंध/अनुश्रवण संगठन, संचार विभाग :

(क) **वेतन मान**—रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950 ।

(ख) इंजीनियर पद के धारी इस पद क्रम में पांच वर्ष तक सेवा करने पर सहायक बेतार, इंजीनियर बेतार योजना और समन्वय स्कंध/प्रभारी इंजीनियर अनुश्रवण सगठन (वेतन मान—रु० 700-40-1100-50/2-1250 तथा 100 रु० विशेष वेतन (केवल सहायक बेतार सलाहकार के लिए) के पदक्रम के 50 प्रतिशत रिक्त स्थानों में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे । सहायक बेतार सलाहकार /प्रभारी इंजीनियर के पदक्रम में पदोन्नति श्रेणी 1 के पदों के लिए बनाई गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर चुनाव के आधार पर होगी ।

जिन सहायक बेतार सलाहकारों और प्रभारी इंजीनियरों ने अपने पदक्रम में 5 वर्ष तक काम कर लिया है वे उप-बेतार सलाहकार (वेतनमान 1100-50-1400) के रूप में पदोन्नत किए जाने के लिए विचार किए जाने के पात्र है । उप-बेतार सलाहकार के पद क्रम में 75 प्रतिशत तक रिक्त स्थान श्रेणी 1 पदों के लिए बनाई गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर चुनाव-आधार पर भरे जाते हैं, उप-बेतार सलाहकार के पदक्रम 25 प्रतिशत रिक्त स्थान सीधी भरती से भरे जाते हैं ।

(ग) इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।

(घ) इंजीनियर के पद पर नियुक्त किये जाने वाले किसी व्यकित को, यदि आवश्यक समझा जाए तो, किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित किसी भी पद पर चार वर्ष से अन्यून अवधि तक, जिसमें प्रशिक्षण अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, काम करना होगा । परन्तु ऐसे व्यक्ति को—

(क) अपनी नियुक्ति के 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद उपर्युक्त प्रकार का काम नहीं करना होगा ।

(ख) साधारणतः चालीस वर्ष की उमर के बाद उपर्युक्त प्रकार का काम नहीं करना होगा ।

2. उप प्रभारी इंजीनियर (श्रेणी 1) सहायक इंजीनियर श्रेणी II (राजपत्रित) और तकनीकी सहायक (श्रेणी II अराजपत्रित) समुद्र-पार संचार सेवा, संचार विभाग में,

(क) तकनीकी सहायक / सहायक इंजीनियर / उप प्रभारी इंजीनियर के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों को कम-से-कम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, यदि आवश्यक हुआ तो अवधि को बढ़ाया भी जा सकेगा ।

(ख) तकनीकी सहायक/सहायक इंजीनियर/उप-प्रभारी इंजीनियर को भारत में कहीं भी काम करना होगा ।

(ग) तकनीकी सहायक/सहायक इंजीनियर/उप-प्रभारी इंजीनियर के पदों पर अस्थायी नियुक्तियों के मामले में बंधपत्र में, जिसे अधिकारी को भरना होता है, निर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, किसी भी पक्ष से एक महीने के नोटिस दिए जाने पर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी । परन्तु विभाग के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह नोटिस के स्थान पर एक महीने का वेतन और भत्ता देकर सेवा समाप्त कर दें लेकिन अधिकारी को कोई ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है ।

(घ) **वेतन मान**

(1) तकनीकी सहायक—रु० 325-15-475-द० रो०-20-575 ।

(2) सहायक इंजीनियर—रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900 ।

(3) सहायक प्रभारी इंजीनियर —रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो० 35-950।

(ङ) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की संभावना —

1. **तकनीकी सहायक**—सभी तकनीकी सहायक जिन्होंने इस पदक्रम में कम-से-कम 3 वर्ष तक काम कर लिया है, सहायक इंजीनियर वेतनमान, रु० 350-35-500-30-590-द० रो०-30-800 द० रो०-830-35-900 के पदक्रम में विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत पदों पर योग्यता के आधार पर चुने जाने पर पदोन्नत किए जाने के पात्र हैं।

(2) **सहायक इंजीनियर**—सभी सहायक इंजीनियर, जिन्होंने इस पदक्रम में कम-से-कम तीन वर्ष तक काम कर लिया है उप-प्रभारी इंजीनियर, वेतन मान —रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950 के पदक्रम में विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत पदों पर योग्यता के आधार पर चुने जाने पर पदोन्नत किए जाने के पात्र हैं।

(3) **उप-प्रभारी इंजीनियर**—उप प्रभारी इंजीनियर के पदधारी जो कम-से-कम तीन वर्ष तक उप-प्रभारी इंजीनियर या सहायक इंजीनियर के पद क्रम में काम कर रहा हो वे प्रभारी इंजीनियर वेतमान रु० 700-40-1100-50/2-1250 समुद्र पार संचार सेवा के पद्म पर परिवीक्षाधीन अवधि, जो दो वर्ष की होगी, सफलता पूर्वक समाप्त होने पर पदोन्नत किए जाने के पात्र हैं। इस पदक्रम में सीधे भरती किए गए अधिकारियों के मामले में तीन वर्ष की न्यूनतम सेवावधि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त करने की तारीख से गिनी जाएगी। प्रभारी इंजीनियर के पदक्रम पर पदोन्नति इस प्रयोजन के लिए बनाई गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर चुनाव के आधार पर की जाएगी।

(च) तकनीकी सहायक, सहायक इंजीनियर या उप-प्रभारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को, यदि आवश्यकता हो किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए, जिसमें प्रशिक्षण में लगी अवधि भी शामिल है, काम करना होगा, परंतु ऐसे व्यक्ति को:—

(क) अपनी नियुक्ति के 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद उपर्युक्त प्रकार का कार्य नहीं करना होगा,

(ख) साधारणत: चालीस वर्ष की उम्र पूरे हो जाने के बाद उपर्युक्त प्रकार का काम नहीं करना होगा।

**टिप्पणी**—सेवा की अन्य शर्तें जैसे, छुट्टी, स्थानातंरण, दौरे पर, यात्रा भत्ता, कार्यारंभ काल/कार्यारंभ काल-वेतन, डाक्टरी सुविधाएं, यात्रा रियायत, पेंशन और उपदान, नियंत्रण और अनुशासन तथा आचरण, आदि वही होंगी जो उसी हैसियत के अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है।

3. सहायक स्टेशन इंजीनियर (श्रेणी I) महानिदेशालय, आकाशवाणी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

(क) नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर की जायेगी।

(ख) इस पद पर नियुक्त किए गए अधिकारी को भारत में कहीं भी काम करना होगा तथा साथ ही उसको किसी भी समय सरकारी निगम के अधीन स्थानांतरण किया जा सकेगा और ऐसे स्थानान्तरण होने पर उसको उस निगम के कर्मचारियों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के अधीन काम करना होगा।

(ग) सरकार निम्नलिखित घटनाओं पर किसी अधिकारी की नियुक्ति बिना कारण बताए समाप्त कर सकती है —

(i) परिवीक्षा अवधि के दौरान या इसके समाप्त होने पर।

(ii) अनधीनता, अविनयता, कदाचार, या फिलहाल लागू होने वाले सेवा संबंधी नियमों के किसी उपबंध को भंग करने या पालन न करने पर,

(iii) यदि वह डाक्टरी तौर पर अनुपयुक्त पाया जाए और उसके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपनी अस्वस्थता के कारण काफी समय तक इसी प्रकार अनुपयुक्त बने रहने की संभावना हो,

अस्थायी नियुक्ति के मामले में, किसी अधिकारी की सेवा किसी भी समय, बिना कारण बताए किसी भी पक्ष से एक महीने का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

(घ) **वेतमान** रु० 400-400-450-30-600-35-670 द० रो० 35-950।

(ङ) **उच्चतर पदक्रमों में पदोन्नति की संभावनाएं**

(i) स्टेशन इंजीनियर के पदक्रम में पदोन्नति, सभी सहायक इंजीनियर जिन्होंने इस पदक्रम में कम-से-कम पांच वर्ष की सेवा कर ली है, वे आकाशवाणी में स्टेशन इंजीनियर, **वेतमान**—रु० 700-40-1100-50/2,-1250 के पदक्रम में, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर चुने जाने के आधार पर पदोन्नत किए जाने के पात्र हैं,

(ii) वरिष्ठ इंजीनियर के पदक्रम में पदोन्नति सभी स्टेशन इंजीनियर, जिन्होंने इस संवर्ग में कम-से-कम सात वर्ष की सेवा कर ली है, वे वरिष्ठ इंजीनियर वेतनमान 1300-60-1600 के पदक्रम में विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर चुने जाने के आधार पर पदोन्नत किए जाने के पात्र हैं।

**टिप्पणी**—सेवा की अन्य शर्तें जैसे छुट्टी, स्थानांतरण/दौरे पर, यात्रा भत्ता, कार्यारंम्भ काल, कार्यारंम्भ काल वेतन, डाक्टरी सुविधाए, यात्रा रियायत, पेंशन और उपदान, नियंत्रण और अनुशासन तथा आचरण आदि, वही होंगी जो उसी हैसियत के अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

4. तकनीकी अधिकारी (श्रेणी 1) और संचार अधिकारी (श्रेणी 1) सिविल विमानन विभाग, पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय में,

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, इस अवधि में उनको समय-समय पर विहित किए गए प्रशिक्षिण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण लेना होगा।

जिन व्यक्तियों की अनुकूल रिपोर्ट दी गई हो और जिन्होंने विहित की गई परीक्षा या परिक्षाएं पास की हो उनको अस्थायी संचार अधिकारी/तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया जायगा । जब भी उनके स्थायीकरण के लिए पद उपलब्ध होंगे उन पर संचार अधिकारी/तकनीकी अधिकारी के पदक्रम में स्थायी किए जाने के लिए विचार किया जाएगा ।

(ख) यदि सरकार के मत में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या यह प्रतीत हो कि उसके कार्यकुशल होने की सभावना नहीं है तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद सरकार उसकी अपने पद पर स्थायी नियुक्ति कर सकती है या यदि सरकार से मत में उसके कार्य और आचरण असंतोष-प्रद रहे हैं सरकार या तो उसे सेवा-मुक्त कर देगी या परिवीक्षा अवधि उतने समय के लिए बढ़ा देगी जितनी वह आवश्यक समझे ।

(घ) यदि इस नियम के उप-नियम (ख) (ग) के अन्तर्गत सरकार कोई कार्रवाई न करे तो परिवीक्षा के लिए विहित अवधि के बाद की अवधि को मास-अनु-मास आबध माना जाएगा जो किसी भी पक्ष से एक मास के नोटिस के द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।

(ङ) यदि सरकार द्वारा सेवा में नियुक्ति करने की शक्ति किसी अधिकारी को सौंपी गई हो तो वह अधिकारी इस नियम के अन्तर्गत सरकार की किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकेगा ।

(च) इस नियम के अन्तर्गत भरती किए गए अधिकारी छुट्टी, वेतन-वृद्धि और पेंशन के लिए उन्हीं नियमों के अनुसार पात्र होंगे जो फिलहाल प्रचलित हैं और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं । वे केन्द्रीय भविष्य निधि में भी इस निधि के नियम विनियमों के अनुसार शामिल होने के पात्र हैं ।

(छ) ये अधिकारी भारत में कहीं भी, और आपात्तिक स्थिति में भारत के बाहर किसी भी क्षेत्र-सेवा में स्थानांतरित किए जा सकेंगे । उनको उड़ान वाले किसी जहाज पर कार्य सम्भालने के लिए भी कहा जा सकता है ।

(ज) इंजीनियरी सेवा (इलेक्ट्रॉनिक्स) परीक्षा के द्वारा नियुक्त होने वाले अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता साधारणतः परीक्षा में उनके योग्यता के क्रम से निश्चित की जाएगी । लेकिन भारत सरकार का वैयक्तिक मामलों में अपने विवेक पर वरिष्ठता को निश्चित करने का अपना अधिकार सुरक्षित है ।

(झ) संचार अधिकारी/तकनीकी अधिकारी से वरिष्ठ संचार अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पदक्रम में पदोन्नति उस अनुवर्ती पदक्रम में स्थान रिक्त होने पर निर्भर करती है और इस पदक्रम में पदोन्नति वरिष्ठता-व-योग्यता के आधार पर उन संचार अधिकारियों/तकनीकी अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने इस पदक्रम में कम-से-कम तीन वर्ष सेवा कर ली हो ।

(ञ) सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार सेवा की शर्तों में परिशोधन किया जा सकता है । बाद में सेवा की शर्तों में परिवर्तन किए जाने से यदि उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो उनको किसी प्रकार का मुआवजा पाने का हक नहीं होगा ।

(ट) विमानन विभाग में संचार अधिकारी । तकनीकी अधिकारी वे के वेतनमान नीचे दिए गए हैं :

(i) संचार अधिकारी (श्रेणी I रु० 400-400-450-30-600-35-670—द० रो०—35-950 ।

(ii) तकनीकी अधिकारी (श्रेणी I) रु० 400-400-450-30-600-35-670—द०रो०—35-950 ।

(ठ) संचार अधिकारी/तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को यदि आवश्यक समझा जाए तो किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर चार वर्ष से अन्यून अवधि तक जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, काम करना होगा,

परन्तु ऐसे व्यक्ति को

(क) अपनी नियुक्ति के 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद उपर्युक्त प्रकार का काम नही करना होगा ।

(ख) साधारणतः चालीस वर्ष की उम्र के बाद उपर्युक्त प्रकार का काम नहीं करना होगा ।

5. सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरी) (श्रेणी I) तकनीकी बिकास महानिदेशालय औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग में)

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय में सहायक विकास अधिकारी के पद पर भरती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे,

(ख) इस श्रेणी I (राजपत्रित) पद का वेतनमान रु० 400-400-450-30-600-35-670—द० रो०—35-950 है ।

(ग) व सहायक विकास अधिकारी, जिन्होंने इस पदक्रम में पांच वर्ष तक सेवा कर ली हो, तकनीकी विकास विभाग में विकास अधिकारी, वेतनमान रु० 700-40-1100-50/2 1150—द० रो०—1300-60-1600 के पद पर पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे । विकास अधिकारियों के पदक्रम के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं । विकास अधिकारी औद्योगिक सलाहकार (रु० 1800-2000) के रूप में पदोन्नत किए जाने के पात्र हैं, औद्योगिक सलाहकार, वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (रु० 2000-2250) के पद पर पदोन्नत किए जाने के पात्र है । इसी प्रकार वरिष्ठ

औद्योगिक सलाहकार महानिदेशक (तकनीकी विकास) (रु० 3000) के पद पर पदोन्नत किए जाने के पात्र हैं ।

(घ) इस प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को यदि आवश्यक समझा जाए तो, किसी भी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर चार वर्ष से अन्यून अवधि तक, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है—काम करना होगा ।

परन्तु ऐसे व्यक्ति को—

(i) अपनी नियुक्ति के 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद उपर्युक्त प्रकार का काम नहीं करना होगा,

(ii) साधारणतः चालीस वर्ष की उम्र के बाद उपर्युक्त प्रकार का काम नहीं करना होगा,

6. उप आयुध पूर्ति अधिकारी पदक्रम II (श्रेणी 1) भारतीय नौसेना रक्षा मंत्रालय में,

(क) इस पद पर नियुक्त किए जाने के लिए चुने गए उम्मीदवारों को परिवाक्षाधीन के रूप में दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस अवधि को समर्थ अधिकारी अपने विवेक के अनुसार बढ़ा सकता है । यदि परिवाक्षाधीन व्यक्ति ने यह अवधि समर्थ अधिकारी के संतोष के अनुसार समाप्त न की तो उसको सेवा मुक्त कर दिया जायगा । परिवीक्षा की अवधि में उनको 9-12 महीने के तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना होगा और अधिक से अधिक तीन मौकों में विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । यदि वे विभागीय परीक्षा पास न कर सके तो सरकार के विवेक के अनुसार उनको सेवा मुक्त किया जा सकेगा । उन्हें प्रशिक्षण के लिए जाने के पहले, भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण के बाद तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा करने के संबंध में 1500 रु० (यह रकम समय समय पर भिन्न भिन्न हो सकती है) के एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

(ख) समर्थ अधिकारी आवश्यक अवधि (अस्थायी नियुक्ति के मामले में एक मास और स्थायी नियुक्ति के मामले में तीन मास) का नोटिस देकर नियुक्ति को कभी भी समाप्त कर सकता है । लेकिन सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह नोटिस की अवधि या उसके समाप्त न हुए भाग के लिए समान वेतन और भत्ते देकर नियुक्त व्यक्तियों को तत्काल या अनुबद्ध अवधि समाप्त होने के पहले सेवा मुक्त कर दे ।

(ग) उन की सेवा की शर्तें वही होंगी जो उन असैनिक सरकारी कर्मचारीयों पर लागू होती हैं जिन को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गये आदेशों के अनुसार रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन दिया जाता है । उन पर समय-समय पर संशोधित रणक्षेत्र सेवा दायित्व नियम, 1957 भी लागू होगें ।

(घ) उनका भारत या विदेश में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकेगा,

(ङ) वेतन मान और वर्गीकरण—श्रेणी 1 राजपत्रित वेतनमान रु० 400-400-450-30-600-30-600-35-670-व० रो० 35-950

(च) उच्चतर पद-क्रम में पदोन्नति की संभावना

(i) उपआयुध पूर्ति अधिकारी पदक्रम 1 - वे उप आयुधपूर्ति अधिकारी (पदक्रम II) जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा कर ली है उ० आ० पू० अ० पदक्रम 1, वेतन रू० 700-40-1100-5002-1250 के पद पर विभागीय पदोन्नति की सिफारिश पर चुनाव किए जाने पर पदोन्नत किए जाने के पात्र हैं। लेकिन शर्त यह है पदोन्नति के लिए केवल उन्हीं अधिकारियों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने वह विभागीय परीक्षा पास करली हो जो तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बाद में लीगई हो। इस परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

**पाठ्यविवरण—**

**1. नौसेना आयुध भंडार, विशाखापट्टनम्**

| | |
|---|---|
| (क) कर्मशाला कार्य (तीन मास)<br>(ख) गनहार्फ तकनीकी पाठ्यक्रम 1<br>(ग) गोला बारूद तकनीकी पाठ्यक्रम 1<br>(घ) प्रशासन और लेखा पाठ्यक्रम<br>(ङ) बालासोर, कासीपुर, ईशापुर और जबलपुर का दौर | 37 सप्ताह |

**3. गनरी स्कूल और टी० ए० एस० स्कूल**

| | |
|---|---|
| हैवी वेहिकल फैक्टरी आवाडी और कार्डाइट फैक्टरी, अखंकाडू का दौरा | 2 ½ सप्ताह |

**4. नौसेना आयुध भंडार, बंबई**

| | |
|---|---|
| (क) गनहार्फ तकनीकी पाठ्यक्रम II<br>(ख) गोलाबारूद तकनीकी पाठ्यक्रम II<br>(ग) आर्डनेस फैक्टरी, अंबरनाथ का दौरा | 5 सप्ताह |

**5. आयुध तकनीकी संस्थान, खड़की**

| | |
|---|---|
| 6 (क) एच० ई० फैक्टरी गोला बारूद फैक्टरी ए० आर० डी०ई० बी आर० डी० एल० खड़की का दौरा | 4½ सप्ताह |

7. आर्डनेंस फैक्टरी, शैल आर्मर्स, फैक्टरी कानपुर, बरास्ता नौसेना, मुख्यालय, नई दिल्ली । ½ सप्ताह

**8. नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली**

रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली का दौरा अंतिम परीक्षा 1 ½ सप्ताह

(ii) **नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (साधारण पदक्रम)**

उपआयुध पूर्ति अधिकारी ग्रेड 1 जिन्होंने इस रूप में 3 वर्ष की सेवा पूरी करली हो, वे नौसेना आयुक्त पूर्ति अधिकारी (साधारण पदक्रम ) वेतनमान रू० 1100-50-1400 के पदक्रम में, समुचित विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चुने जाने के आधार पर पदोन्नति किए जाने के पात्र हैं ।

(iii) **नौसेना पूर्ति अधिकारी (प्रवरण पदक्रम)**

वे नौसेना आयुध पूर्ति अधिकारी (साधारण पदक्रम) जिन्होंने इस प्रकार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, नौ सेना आयुध तिपू

अधिकारी (प्रवरण पदक्रम) वेतनमान 1300-60-1600 के पदक्रम में, विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चुनाव किए जाने के आधार पर, पदोन्नति किए जाने के पात्र हैं।

(iv) निदेशक आयुध पूर्ति

नौ सेना आयुध पूर्ति अधिकारी (प्रवरण पदक्रम/साधारण पदक्रम) जिन्होंने इस पदक्रम/इन पदक्रमों में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो वे, निदेशक आयुध पूर्ति, वेतनमान रू० 1600-100-1800 के पदक्रम में समुचित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चुनाव किए जाने के आधार पर पदोन्नति किए जाने के पात्र होंगे।

7. केन्द्रीय सरकार के अधीन अन्य पद जिनके सामान्यतः नीचे दिए गए वेतनमान हैं :—

(i) श्रेणी I—रू० 400—950

(ii) श्रेणी II—रू० 350—900।

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

*New Delhi-4, the 23rd October 1970*

*No.* 54-*Pres.*/70.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Samuel Arthur Crowther,
Radio Maintenance Officer,
38th Battalion,
Central Reserve Police. (*Deceased*)

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

Due to continuous and heavy rains and floods over a week commencing from 5th July, 1968, all the communications in the Union Territory of Tripura were completely disrupted. Late in the evening of 9th July, 1968, intimation was received that the wireless sets at border outposts Samrupar and Rangna had gone off the air and were no more in communication with Battalion Headquarters. Shri S. A. Crowther was detailed to proceed to the border outposts to repair the wireless sets and restore communications. Shri Crowther proceeded to the border outposts early in the morning of 10th July, 1968 and after braving through unending rain and covering a distance of 230 Kms., he reached the Rangna Outpost on 11th July, 1968, repaired the radio sets and restored communications with the Battalion Headquarters. Thereafter, he proceeded to the border outposts at Samrupar at about 1200 hours on the 12th July, 1968. As all the roads had been breached at several places he could reach a spot about 5 Kms. short of his destination where he abandoned the vehicle and proceeded to wade through flooded rivers, rivulets on foot in disregard of the danger to his life. When he had nearly reached the border outpost, the Assistant Radio Operator who was leading Shri Crowther with a long bamboo in his hand to check the depth of water, tripped into deep water. He soon came up and raised desperate cries for help. In utter disregard of his safety, Shri Crowther rushed forward to save his comrade, but due to very strong current and deep turbulent water he was swept off his feet and drowned. His body could be traced only on the fourth day.

Shri S. A. Crowther displayed great determination, extraordinary professional skill and exemplary courage, laying down his life in the discharge of his duty and in his attempt to save the life of his colleague.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th July, 1968.

P. N. KRISHNA MANI, Jt. Secy.

## MINISTRY OF FINANCE
## (Department of Economic Affairs)

*New Delhi, the 14th October 1970*

*No. F.2(33)-NS/70.*—The Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. F.3(21)-2/NS/62, dated the 1st November, 1962 relating to 4½% Ten Year Defence Deposit Certificates, namely :—

In paragraph 2 of the said notification after sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) a deposit which had a period of not less than seven years in maturity on the 16th March, 1970, will in respect of payment of interest falling due on or after the 16th March, 1971, bear interest at 4.75% per annum. Interest at 4.75% per annum will be paid on the anniversary date of investment and thereafter will be paid annually on the completion of each period of twelve calendar months from the date of such anniversary, no interest being payable for any period which is less than twelve months."

P. N. MALAVIYA, Under Secy.

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

### (Department of Industrial Development)

*New Delhi, the 7th October 1970*

*No. SSI(B)*-3(7)/70.—In the erstwhile Ministry of Industrial Development & Company Affairs (Deptt. of Industrial Development) Resolution No. RIPC/1(1)/68, dated the 30th May 1968, under which the Rural Industries Planning Committee was reconstituted, read with the notifications dated the 1st June, 1970 and the 4th September, 1970, the following names may be added as members of Rural Industries Planning Committee :

*Members*

(29) Shri K. D. Malviya.

(30) Shri A. R. Bhat.

(31) Shri R. K. Talwar, Chairman S.B.I., Bombay.

(32) Shri C. Madhav Reddy, Chairman, A.P.S.I.D.C., Hyderabad.

O. R. PADMANABHAN, Under Secy.

## RESOLUTION

*New Delhi, the 12th October 1970*

*No. LEI(A)*-16(1)/67.—In supersession of the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) Resolutions Nos. LEI(A)-16(1)/67, dated the 16th February 1968, 15th May 1968, 21st August 1968, the Government of India have decided to reconstitute the Advisory Committee for the Development of Medical Instruments, Equipment and Appliances.

2. The functions of the Advisory Committee are :—

(i) To keep abreast of developments in the manufacture of medical and surgical instruments, equipment and appliances and allied items;

(ii) to suggest from time to time new items that should be taken up for manufacture; and

(iii) to advise Government on matters concerning the development of this industry in all its aspects.

3. The Advisory Committee will consist of :—

*Member and Alternate Chairman*

1. Shri V. P. S. Menon, Industrial Adviser (Engineering), Directorate General of Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

*Members*

2. Shri V. V. S. Murty, Deputy Superintendent (Quality Control), Surgical Instruments Plant, Nandambakum, Madras-16.

3. Colonel N. N. Bery, Honorary Dental Adviser, Ministry of Health, Family Planning Works, Housing and Urban Development, 13, Curzon Road, New Delhi-1.

*Member-Secretary*

4. Shri V. Krishnamoorthy, Development Officer (Instruments) Directorate General of Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

*Members*

5. Shri A. B. Rao, Director (Consumer Products), Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

6. Dr. S. S. Verma, Chief Medical Officer, Northern Railway, New Delhi.

7. Shri S. Raghaviah, Director, Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, Nirman Bhavan, New Delhi.

8. Mr. Karl Schmidt, Siemens India Limited, 130, Worli, Bombay-18 W.B.

9. Shri T. Devagnanam, Managing Director, Needle Industries Private Limited, Ketti P.O. Nilgiris.

10. Shri J. D. Chandriani, Malabar View, Chowpatty Sea Face, Bombay-7.

11. Dr. S. A. Kabir, Dean, Erskine Hospital, Madurai.

4. The term of the Advisory Committee will last for two years in the first instance.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

ABID HUSSAIN, Jt. Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi-1, the 7th October* 1970

*No.* 25/8/70-*ANI.*—The President is pleased to nominate Shri Kansa of West Bay Katchal to the Advisory Committee in respect of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands associated with the Chief Commissioner of the Islands, for a period ending the 31st March, 1970.

A. D. PANDE, Jt. Secy.

## MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING, WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

**(Department of Family Planning)**

RESOLUTION

*New Delhi, the 2nd September* 1970

*No.* 6-7/70-*PLY.*—In pursuance of the recommendations of the 6th meeting of the Central Family Planning Council held at Bhopal on the 6th and 7th 1969 it has been decided to constitute a Committee to review and examine the question of target setting and formulating suitable and realistic targets under the Family Planning Programme with a view to achieving the objectives of reducing the birth rate by seven points in each of the Fourth and Fifth Five Year Plans.

2. The composition of the Committee will be as under :—

*Chairman*

1. Prof. C. N. Vakil, Vice Chancellor, South Gujarat University, Post Box No. 49, Surat.

*Members*

2. Prof. D. B. Lahiri, Indian Statistical Institute, Calcutta.

3. Shri J. A. Ambasanker, Secretary, Health and Family Planning, Government of Tamil Nadu, Madras.

4. Dr. T. B. Patel, Director of Health Services, Gujarat, Ahmedabad.

5. Dr. S. N. Agarwala, Director, International Institute of Population Studies, Bombay.

6. Shri T. R. Puri, Joint Director, Programme Evaluation Organisation, Planning Commission, New Delhi.

*Member-Secretary*

7. Dr. R. S. Kurup, Officer on Special Duty (Evaluation), Department of Family Planning, New Delhi.

3. The terms of reference of the Committee shall be :—

(i) Determining the guiding principles for laying down for individual States keeping in view the objective of bringing down the country's birth rate by 7 points in each of the 4th and 5th Five Year Plans.

(ii) Laying down the physical targets for achieving the objectives and for each individual State for the full Plan period and also for individual years of the Fourth and Fifth Plans keeping in view the inputs, both present and potential.

(iii) Recommending other connected and ancillary measures for fulfilment of the targets.

4. The Committee should furnish its report latest by the 31st December, 1970. The Committee shall determine its own procedure and for the purpose of technical/secretariat assistance, draw upon the Central Family Planning Institute, New Delhi and the International Institute of Population Studies, Chambur, Bombay. The Committee shall have the power to co-opt such experts and advisers as may be considered necessary to help in any specific matter related to the terms of reference.

5. Non-official members of the Committee shall be entitled to grant of travelling and daily allowances for attending the meetings of the Committee as admissible to an officer of the highest grade in Class I of the Central Services. Members of the Committee who are Government servants will draw travelling and daily allowances as admissible to them from the same source from which their salary is drawn.

6. The expenditure involved is to be met within the sanctioned budget grant under Major Head-30-B Public Health B-5 Miscellaneous B.5(4) Expenditure on Family Planning—B.5(4)(5) Technical advice and supervision—B.5(4)(5)(1)—Technical Wing at Headquarters under Demand No. 38 Medical and Public Health for the year 1970-71.

ORDER

1. ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories.

2. ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. N. MADHOK, Jt. Secy.

RESOLUTION

*New Delhi, the 13th October* 1970

*No.* 1-12/70-*MEM.*—In continuation of this Department's Resolution No. 1-19/70-ME&M, dated the 11th February, 1970, the Department of Family Planning have constituted a National Films Awards Selection Committee recommending awards for best feature film on family planning and best short film on family planning.

The constitution of the Committee will be as under :—

*Chairman*

1. Shri Homi J. H. Talyarkhan, M.L.A. Maharashtra, 41, Bhulabhai Desai Road, Bombay-26.

*Members*

2. Shri K. A. Abbas, C/o 'Blitz' Weekly, Bombay.

3. Shri A. L. Srinivasan, President, S.I.F.C.C., Khalledi Avenue, 122, Mount Road, Madras.

4. Smt. Tara Ali Baig. R. 8, Hauz Khas, New Delhi-16.

5. Shri B. K. Karanjia, Editor, Film-Fare, Times of India, Bombay.

6. Smt. Avabhai B. Wadia, President, Family Planning Association of India, 1, Metropolitan House, Dadabhai Naoroji Road, Bombay-1.

7. Shri Chidananda Das Gupta, Ground Floor, F. 385-A, Block 'G', 53-New Alipore, Calcutta-23.

8. Smt. Usha Bhagat, Social Worker, 32, Nizam-ud-din East, New Delhi-13.

9. Smt. Nargis Dutt, 41, Pali Hills, Bombay.

10. Shri K. L. Khandpur, Chief Producer, Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.

11. Shri B. A. Patil, Editor, Satyawadi, Kolhapur, Maharashtra.

12. Shri V. D. Vyas, Deputy Secretary, Ministry of I & B, New Delhi.

13. Shri Pratap Kapur, Chief (Media), Department of Family Planning, New Delhi.

Smt. A. Pandit, Programme Officer, Department of Family Planning will be the non-member Secretary of the Committee.

ORDER

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. N. CHAUDHRI, Dy. Secy.

## MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

*New Delhi, the 15th October 1970*

*No. L-12015/8/70-Misc.*—The National Cooperative Development Corporation was set up in 1963 under the National Cooperative Development Corporation Act, 1962 with the object of planning and promoting programmes for the production, processing, storage and marketing of agricultural produce and notified commodities through cooperative societies. It is a successor organisation to the National Cooperative Development and Warehousing Board which was set up on the recommendations of the All India Rural Credit Survey Committee. The Public Accounts Committee, in their Hundred and Sixth Report, have observed that "they have reasons to doubt whether the existence of an official organisation like the National Cooperative Development Corporation in the cooperative sphere, besides the Department of Cooperation is at all necessary", and have made the following recommendation :

"The Committee would like Government to remit the foregoing consideration for detailed expert study and come to a decision on the necessity for the continuance of the National Cooperative Development Corporation. In any case, even if there is justification for the organisation, the present system of channelising Central assistance to the States through the Corporation does not appear to be necessary."

2. In pursuance of the above recommendation of the Public Accounts Committee, Government have decided to set up an Expert Committee to examine this and other connected matters in all their aspects. The composition of the Expert Committee will be as follows :—

*Chairman*

1. Shri B. Venkatappiah, Member, Planning Commission, New Delhi.

*Members*

2. Shri G. R. Kamat, 3, Nizamuddin East, New Delhi-13.

3. Shri P. N. Damry, Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay.

4. Shri P. S. Rajagopala Naidu, President, National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd., L-8, South Extension Part II, New Delhi-49.

5. Shri V. N. Puri, Chairman, National Agricultural Cooperative Marketing Federation, D-44, South Extension Part II, New Delhi.

6. Shri S. B. Kazi, Secretary to Government of Maharashtra, Departments of Agriculture and Cooperation, Bombay.

7. Shri I. N. Bongirwar, Vice-Chancellor, Punjabrao Deshmukh Agricultural University, Akola (Maharashtra).

8. Shri M. S. Chaudhary, Commissioner for Agricultural Production and Additional Chief Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

*Member-Secretary*

9. Shri K. S. Bawa, Joint Secretary to the Government of India, Department of Cooperation, New Delhi.

3. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(1) To review the working of the National Cooperative Development Corporation, with a view to assessing to what extent the objectives for which it was established have been achieved;

(2) to examine whether there is need for the continuance of the Corporation; if so, to suggest modifications, if any, in the scope of its existing activities as provided under the N.C.D.C. Act, 1962 and to recommend legislative, administrative and financial measures for enabling the Corporation to suitably strengthen its organisation, in order to fulfil effectively its present functions as well as such others as may be recommended by the Committee;

(3) to examine whether the present system of channelissing Central assistance to the States through the Corporation is necessary and to suggest any change, modification or improvement therein.

4. The Committee may undertake such tours within the country as may be considered necessary.

5. The Committee will submit its report by the 30th April, 1971.

6. The Headquarters of the Committee will be at Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of the notification be communicated to all concerned.

ORDERED also that the notification be published in the Gazette of India for general information.

M. A. QURAISHI, Addl. Secy.

## DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

*Rules*

*New Delhi, the 31st October, 1970*

*No. A-12025/5/70-C&P.*—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in April, 1971, for the purpose of filling vacancies in the following posts are, with the concurrence of the Ministries/Departments concerned, published for general information.

(1) Engineer (Class I) in the Wireless Planning and Coordination Wing/Monitoring Organisation, Department of Communications.

(2) Deputy Engineer-in-Charge (Class I) in the Overseas Communications Service, Department of Communications.

(3) Assistant Engineer (Class II) in the Overseas Communications Service, Department of Communications.

(4) Technical Assistant (Class II—non-Gazetted) in the Overseas Communications Service, Department of Communications.

(5) Assistant Station Engineer (Class I) in the All India Radio, Ministry of Information and Broadcasting.

(6) Technical Officer (Class I) in the Civil Aviation Department, Ministry of Tourism and Civil Aviation.

(7) Communication Officer (Class I) in the Civil Aviation Department, Ministry of Tourism and Civil Aviation.

(8) Assistant Development Officer (Engineering) (Class I) in the Directorate Central of Technical Development, Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development); and

(9) Deputy Armament Supply Officer, Grade II (Class I) in the Indian Navy, Ministry of Defence.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli), Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 and the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before 1st January, 1962, with the intention of premanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formely Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution.

(iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, *viz.*, 26th January, 1950 and who have continued in such service since then without a break. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st August, 1971 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd August, 1946, and not later than 1st August, 1951.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable by five years in the case of the Government servants of the following categories, if they are applying for vacancies in their respective departments—

(i) A candidate who holds substantively a permanent post in the particular department, this relaxation will not be admissible to a probationer appointed against a permanent post in department during the period of his probation.

(ii) A candidate who has already completed or will complete on or before the 1st August, 1971, at least three years continuous service in the particular department and continues to be so employed.

Provided that no candidate shall be permitted under the relaxation of the upper age limit mentioned at (b) above, to compete more than three times at the examination.

(c) The upper age-limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) Up to a maximum of five years, if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) Up to a maximum of three years, if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iii) Up to a maximum of eight years, if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) Up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) Up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) Up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) Up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) Up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof. This concession will not, however, be admissible to a candidate who has already appeared at five previous examinations;

(xi) Up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. This concession will not, however, be admissible to a candidate who has already appeared at ten previous examinations; and

(xii) Up to a maximum of three years, if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

*N.B.* (i).—For the purposes of this Rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once for all the posts ordinarily covered by the examination, if he competes for any one or more of the posts.

A candidate shall be deemed to have competed at the examination, if he actually appears in any one or more subjects.

*N.B.* (ii).—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned at (b) above is liable to be cancelled, if, after submitting his application, he resigns from Service, or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible, if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

A candidate who, after submitting his application to his department is transferred to other department/office will be eligible to compete under departmental age concession for the post, for which he would have been eligible but for his transfer, provided his application has been forwarded by his parent department.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate must have—

(a) obtained a degree in Engineering from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or

(b) passed Sections A and B of the Associate Membership Examination of the Institution of Engineers (India); or

(c) obtained a degree/diploma in Engineering, from such foreign Universities/Colleges, Institutions and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time; or

(d) passed the Graduate Membership Examination of the Institution of Tele-communication Engineers (India); or

(e) M.Sc. degree or its equivalent, with Wireless Communication, Electronics, Radio Physics, or Radio Engineering as special subject; or

(f) passed the Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London, held after November, 1959.

The Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London, held prior to November, 1959, is also acceptable, subject to the following conditions :—

(1) that the candidates who have passed the examination held prior to November, 1959, should have appeared and passed in the following additional subjects :

(i) Principles and Applications of Electrical Engineering (in accordance with the syllabus prescribed in Section A of Post-1959 Scheme);

(ii) Mathematics II (in accordance with the syllabus prescribed in Section B of Post-1959 Scheme);

(2) that the candidates concrned should produce a certificate from the Institution of Electronics and Radio Engineers, London, in fulfilment of the condition prescribed at (1) above.

NOTE 1.—In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified, provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE 2.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided that the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE 3.—A candidate, who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign University which is not recognised by Government, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or a temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admittd to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improver means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period:—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

14. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any post, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in that post.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their descretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Due consideration will be given, at tht time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various posts, at the time of his application.

17. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satified after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the public service.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A

candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy those requirements will not be appointed. All candidates who are declared qualified for the Personality Test will be physically examined at the place where they are summoned for interview, either immediately before or after the interview. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 to the Medical Board. The fact that a candidate has been physically examined will not mean or imply that he will be considered for appointment.

In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment to Gazetted posts and of the standards required are given in Appendix II. For the disabled ex-Defence Services personnel, the standards will be relaxed consistent with the requirements of each post.

19. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

20. Brief particulars relating to the posts to which recruitment is being made through this examination are stated in Appendix III.

R. S. AGGARWAL,
Under Secy.

## APPENDIX I

1. The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I—Compulsory and optional papers as shown below. The standard and syllabi prescribed for these papers are given in the Schedule to this Appendix.

Part II—Prsonality Test carrying a maximum of 200 marks for such candidates as may be called by the Commission. (Please *see* para 6 below.)

2. The following will be the subjects for the written examination :—

| Subject | Duration | Maximum Marks |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| *A. Compulsory* | Hrs. | |
| (1) English Essay | 1½ | 50 |
| (2) General English | 1½ | 50 |
| (3) General Knowledge and Current Affairs | 1½ | 50 |
| (4) History of Science | 3½ | 50 |
| (5) Radio Physics | 3 | 100 |
| (6) Electronics Materials and Components | 3 | 100 |
| (7) Applied Electronic Circuits | 3 | 100 |
| (8) Eletrical and Mechanical Engineering | 3 | 100 (60 marks for Electrical Engineering and 40 marks for Mechanical Engineering.) |
| *B. Optional : Any two of* the following subjects :— | | |
| (1) Principles Sf Acoustics | 3 | 100 |
| (2) Transmission Lines and Net Works | 3 | 100 |
| (3) Antenna and Wave Propagation | 3 | 100 |
| (4) Mathematics | 3 | 100 |
| (5) Radar and Micro Waves Engineering including Radio Aids to Navigation | 3 | 100 |
| (6) Broadcasting and Television systems | 3 | 100 |

3. All papers must be answered in English.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

6. Special attention will be paid in the Personality Test to assessing the candidates' capacity for leadership, initiative and curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application and integrity of character.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deductions up to 5 per cent. of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

*Schedule to Appendix I*

*Standard and Syllabus*

The standard of papers in English Essay, General English, General Knowledge and Current Affairs, and History of Science will be such as may be expected of an Engineering/science graduate. There will be no practical examination in any of the subjects.

The papers in Radio Physics, Electronic Materials and components, Applied Electronic Circuits and Electrical and Mechanical Engineering will be of the degree standard for Engineering of Indian Universities and questions will be framed to test the candidates' grasp of fundamentals in each subject.

The standard of optional papers will require detailed knowledge as applicable to Engineering problems.

(1) *English Essay.*—An essay to be written in English on one of several subjects.

(2) *General English.*—Questions to test the candidates understanding of and power to write English. Passages will usually be set for summary or precis.

(3) *General Knowledge and Current Affairs.*—The paper will include questions to test knowledge of current events and of matters of every day observation and experience. The paper will also include questions on History of India and Geography.

(4) *History of Science.*—History of the evolution and growth of science. Great scientists and their contribution to science.

(5) *Radio Physics.*—Magnetism; Definitions and units; Magnetic induction; hysterisis; magnetic circuits.

Electricity : Units; di-electrics; charges; alternating and direct current circuits; circuits containing resistance; inductance and capacitance; resonance; effects of Q on selectivity; current, voltage and power relations.

Tuned and untuned amplifiers; oscillators; frequency stability; frequency multipliers and harmonic generators; modulators.

Principles of reception, diversity reception; superhetrodyne receivers.

Radio telegraph, radio telephone communication and broadcasting systems; wave-length and power considerations; signal to noise ratio requirements; principles of wave propagation and transmission. Aerials, feeders and matching devices.

Principles of amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation, and their application in communication systems.

Speech and hearings—articulation; basic principles of acoustics.

(6) *Electronic Materials and Components.*—Conducting and dielectric materials of different types; piezo-electric and ferro-electric materials and transducers; quartz crystals of different cut and equivalent circuit.

Magnetic materials and ferrites of different types—their characteristics and uses; permanent magnets.

Resistors, capacitors inductors and transformers; their different types, principles of construction, characteristics, performance and applications.

Electron emission and motion in electric and magnetic fields.

Electron emission and motion in electric and magnetic special purpose tubes, micro-wave tubes gas and photo tubes; principles of construction, characteristics and typical applications.

Semi-conductors and their properties; semi-conductor devices including diodes and SCR's, tunnel diodes, transistors and photo-sensitive devices; fundamentals of printed circuits.

Relays: Electromagnetic and thermal types; their characteristics, performance and applications.

(7) *Applied Electronic Circuits.*—Circuit principles involved in the following :—

Vacuum tube amplifiers, typical circuits for different applications; feed back; broadband amplifiers; D. C. amplifiers.

Transistor amplifiers, typical circuits; design for temperature stabilisation.

Low and high frequency oscillators. Conventional circuits; relaxation oscillators; frequency multipliers and dividers; frequency stabilization.

Pulse and sweep circuits, counting circuits.

Modulators and detectors; typical circuits for amplitude, frequency and phase modulation.

Power supply systems for electronic equipments-rectifiers, filters, voltage regulated power supplies.

Industrial electronic circuits for induction heating, welding and speed control of electric meters.

Typical circuits used in television receivers.

(8) *Electrical and Mechanical Engineering.*

(a) *Electrical Engineering.*—D.C. motors and generators—their characteristics and general features; motor starters.

Primary and secondary cells.

A.C. circuits; power factors; transformers, alternators, synchronous and induction motors; starting devices.

Rectifiers and rotary convertors.

Electrical instruments and measurements—measurement of voltage, current and power in D.C. and A.C. circuits; different types of instruments and their characteristics. Typical bridges.

(b) *Mechanical Engineering.*—Properties and strength of materials—stress and strains in tension, compression and shear: Hooke's Law; elastic constants; bending moments and shear forces in beams.

Internal combustion engines—major component units and principles of working.

Simple machine tools and their uses.

Transmission of power—belt and geardrive; direct couplings; bearings.

Laws of friction, lubricants and lubricating systems.

Ferrous and non-ferrous materials—their properties.

(9) *Principles of Acoustics.*

Sound : wave equation; vibrating systems; sound transmission; electro-mechani-acoustical circuits and filters.

Room acoustics; sound absorption and insulation; reverberation; design of broadcasting studios.

Transducers : microphones, loudspeakers, design characteristics, measurement and calibration.

Noise control; sound insulation; measurements.

Hearing and speech; psycho-acoustic criteria, audio-metric measurements. High fidelity systems. Disc, magnetic and film recording, and play back systems.

(10) *Transmission Lines and Networks.*

Two terminal networks : Combinations of R.L.& C.; Impedance of a transformer-equivalent networks; Analysis and Synthesis of two terminal networks.

Four terminal networks : Linear parameters—image and iterative parameters; Terminations; Loss factors; Insertion losses. Tandem connections reflection and interaction losses. Attenuating pads of the T and H types—Lattice and bridged T. networks. Constant resistance recurrence networks-equalisers.

Wave filters; Conditions for pass and attenuation bands. Principles of filter design based on image, parameters. Constant K and M derived filter sections. Low pass, high pass and band pass filters (of 3, 4, 5 and 6 element types). Composite and complementary filters. Parallelling of filters. Effects of dissipation and termination. Frequency and impedance normalisation. Transformations of designs from low pass to high pass and band pass filters. Elementary principles in the design of electric wave filters.

Properties of electrical line : Quantitative values of R.L.C. of electrical lines. Transmission line equations—attenuation and phase shift. Reflection in transmission lines; equations for a line with any termination. Reflection losses and reflection factor. Standing waves. Impedance of lines with total and partial reflection—circle diagram.

Low frequency transmission lines : characteristics; Distortion for telegraph and telephone working—loading.

High frequency transmission lines : Characteristics—open wire and concentric feeders; Transmission lines as impedance element; Resonant lines—Matching of H.F. lines.

(11) *Antenna and Wave Propagation.*

Electro-magnetic equation, radiation of electromagnetic waves, field intensity.

Radiation patterns; directive systems; gain of antennas, practical design of directive antennas for long, medium, short wave and very high frequency. Receiving antenna systems. Antennas for direction finding.

Radio frequency transmission lines, coupling networks, matching of transmission lines, practical design of feeder lines and switching systems.

Propagation—ground, tropospheric and ionospheric atmospherics and noise.

Measurements of field strength.

(12) *Mathematics.*

*Fundamental Concepts.*

Functions—Average Rates—Limits.

*Basic Operations.*

Derivatives—Differentials—Higher Derivatives. Maxima and Minima—Integrals—Definite Integrals.

*Further Operations.*

Integration Techniques—Double Integrals.

*Infinite Series.*

Definitions—The Geometric Series—Convergent and Divergent Series—General Theorems—The Comparison Test—Cauchy's Integral Test—Cauchy's Radio Test—Alternating Series—Absolute Convergence—Power Series—Theorems Regarding Power Series—Series of Functions and Uniform Convergence—Integration and Differentiation of Series—Taylor's Series—Symbolic form of Taylor's Series—Evaluation of Integrals by Means of Power Series—Approximate Formulas derived from Maclaurin's Series—use of Series for the Computation of Functions—Evaluation of a Function taking on an Indeterminate Form.

*Complex Numbers.*

Introduction—Complex Numbers—Rules for the Manipulation of Complex numbers—Graphical Representation and Trigonometric Form—Powers and Roots—Exponential and Trigonometric Functions—The Hyperbolic Functions.—The Logarithmic Function—The Inverser Hyperbolic and Trigonometric Functions.

*Mathematical Representation of Periodic Phenomena.*

*Fourier Series, and the Fourier Integral.*

Introduction—Simple Harmonic Vibrations—Representation of More Complicated Periodic Phenomena, Fourier Series—Examples of Fourier Expansion of Functions—Some Remarks about Convergence of Fourier Series—Effective Values and the Average of a Product—Modulated Vibrations and Beats—The Propagation of Periodic Disturbances in Form of Waves—The Fourier Integral.

*Linear Algebraic Equations, Determinants and Matrices.*

Simple Determinants—Fundamental Definitions—The Laplace Expansion—Fundamental Properties of Determinants—The Evaluation of Numerical Determinants—Definition of a Matrix—Special Matrices—equality of Matrices. Addition and substraction—Multiplication of Matrices—Martix Division, the Inverse Matrix—The Reversal Law in Transposed and Reciprocated Products Properties of Diagonal and Unit Matrices—Matrices Partitioned into Submatrices—Matrices of Special Types—The Solution of n linear Equations in n Unkowns.

*Linear Differential Equations with Constant Coefficients.*

The Reduced Equation, the Complementary Function—Properties of the Operator Ln.(D)—The Method of Undetermined Coefficients—The Simple Direct Laplace—Transform, or Operational, Method of Solving Linear Differential Equations with Constant Coefficients—The Direct Computation of Transforms—Systems of Linear Differential Equations with constant Coefficients.

*Laplace Transforms of Use in the solution of Differential Equations.*

Notation—Basic Theorems.

*Oscillations of Linear Lumped Electrical Circuits.*

Electrical—Circuit Principles—Energy Considerations—Analysis of General Series Circuit—Discharge and charge of a capacitor—Circuit with Mutual Inductance—Circuits coupled by a Capacitor—The Effect of Finite Potential Pulses—Analysis of the General Net work—The Steady-state Solution—Four-terminal Network in the Alternating Current Steady States—The Transmission Line as a Four-terminal Network.

*Partial Differentiation.*

Partial Dervatives—The Symbolic Form of Taylor's Expansion—Differentiation of Composite Functions—Change of variables—The First Differential—Differentiation of Implieu Functions—Maxima and Minima—Differential of a Definite Integral—Integration under the Integral Sign—Valuation of Certain Definite Integrals—The Elements of the Calculus of Variations—Summary of Fundamental Formulas of the Calculus of variations—Hamilton's Principle. Lagrange's Equations—Variational problems with Accessory Conditions: Isoperimetric problems.

*Vector Analysis.*

The Concept of a vector—Addition and Subtraction of Vectors. Multiplication of a vector by a Scalar—The Scalar-Product of two Vectors—The Vector Product of Two Vectors—Multiple Products—Differentiation of a Vector with respect to Time—The Gradient—The Divergence and Gauss's Theorem—The Curl of a Vector Field and Stokes's Theorem—Successive Application of the Operator—Orthogonal Curvilinear Co-ordinates—Application to Hydrodynamics—The equation of Heat Flow in Solids—The Gravitational Potential—Maxwell's Equations—The Wave Equation—The Skin-effect or Diffusion. Equation—Tensors (Qualitative Introduction)—Co-ordinate Transormations. Scalars. Contravariant Vectors. Covariant Vectors—Addition, Multiplication and contraction of Tensors—Associated Tensors—Differentiation of an Invariant—Differentiation of Tensors; The Christoffel Symbols—Intrinsic and Covariant Derivatives of Tensors of Higher Order—Application of Tensor Analysis to the Dynamics of a Particle.

*Elements of the Theory of the Complex Variable.*

General Functions of a Complex Variable—The Derivative and the Cauchy—Riemann Differential Equations Line Integrals of Complex Functions—Cauchy's Integral Theorem—Cauchy's Integral Formula—Taylor's Series—Laurent's Series—Residues—Cauchy's Residue Theorem—Singular Points of an Analytic Function—The Point at Infinite—Evaluation of Residues—Liouville's Theorem—Evaluation of Definite Integrals—Jordan's Lamma—Integrals Involving Multiple—Valued Functions.

*Operational and transform Methods.*

The Fourier—Mellin Theorem—The Fundamental Rules—Calculation of Direct Transforms—Calculation of Inverse Transforms—The Modified Integral—Impulsive Functions Application of the Operational Calculus to the Solution of Partial Differential Equations—Evaluation of Integrals—Application of the Laplace Transform to the Solution of Linear Integral Equations—Solution of Ordinary Differential Equations with Variable Coefficients—The Summation of Fourier Series by the Laplace Transform.

(13) *Radar and Micro-waves Engineering including Radio Aids to Navigation.*

Principles: resolution accuracy and coverage; radar range equation, radar frequencies and various types of radar equipment.

Pulse circuits and networks; strobes and gating circuits. Various types of presentations and connected circuitry. Modulators and their theory.

Radar receiving circuits

Various types of radar antenna and feed systems, reffector and their design. Microwave plumbing: Wave guides, modes of transmission, impedance matching, choke joints, direction couplers, TR devices.

VHF troide oscillator, klystrons, magnetrons, travelling wave tubes, efficiency diagrams. Principles and Characteristics of air-borne & ground based radar systems. Principles of direction finding.

Principles of navigational systems such as Loran, Decca, Doppler.

Principles of Electronic Altimeters.

(14) *Broadcasting and Television Systems.*

Broadcasting on long, medium and short waves and V.H.F.; coverages field strength, noise and interference; ground wave propagation; sky wave propagation; fading phenomenon.

Studio and auditorium; design with regard to noise level, reverberation, sound level and sound distribution, ventilation and illumination.

Studio and control room equipment, microphones—design considerations from output, impedance, sound level, directivity, noise and fidelity. Choice of microphones. Chain in the audio link from microphone to transmitter—special feature and design considerations. Recording and play back.

Broadcast transmitters: requirements for broadcast; modulators, amplifiers and power supply systems

Design of superheterodynne receiving circuits. Use of transistors in broadcast receivers.

Frequency modulation in broadcasting.

Television circuits in cameras, transmitters and receivers; picture standards; typical transmitters and receivers; lighting and studio equipment.

## APPENDIX II

## REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India, reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board].

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) However, for certain services the minimum standards for height and chest girth without which candidates cannot be accepted are as follows :—

Class I and Class II posts in the Engineering Branch of the Overseas Communications Service.

| Height | Chest Girth | Expansion (fully expanded) |
|---|---|---|
| 152 cm (for men) | 84 cm. | 5 cm. |
| 150 cm. (for women) | 79 cm. | 5 cm. |

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagalnd Tribals, etc., whose average height is distinctly lower.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidly and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted, and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres, 84-89, 86-93.5 etc. In recording the measurements, fractions of less than half a centimetre should not be noted.

*N.B.*—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of half a kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority, in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses :

| | Distant Vision | | Near Vision | |
|---|---|---|---|---|
| | Better eye (Corrected vision) | Worse eye (Corrected vision) | Better eye (Corrected vision) | Worse eye (Corrected vision) |
| | 6/6 or 6/9 | 6/12 6/9 | J. I | J. II |

(d) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

The total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed —4.00D. The total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00D.

(e) *Field of Vision.*—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness.*—Broadly there are two types of night blindness; (1) as a result of vit. A deficiency and (2) as a result of Organic disease of Retina—a common cause being Retinitis pigmentosa. In (1) the fundus is normal, generally seen in younger age group and ill nourished persons and improves by large doses of Vit. A. In (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult, and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category For both (1) and (2), dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-Retino-graphy is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time-consuming and require specialized set up, and equipment; and thus are not possible as a routine test in a medical check up Because of these technical considerations, it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employees.

(g) *Colour Vision.*—(i) The testing of colour vision shall be essential in respect of all the posts.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

| Grade | Higher Grade of Colour preception | Lower Grade of Colour preception |
|---|---|---|
| 1. Distance between the lamp and candidates . . . . | 16' | 16' |
| 2. Size of aperture . . . | 1·3 mm | 1·3 mm |
| 3. Time of exposure . . . | 5 sec. | 5 sec. |

For the services concerned with the safety of the Public, the higher grade of colour vision is essential but for other, the lower grade of colour vision should be considered sufficient.

(iii) Satisfactory colour vision constitute recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like Edrigde Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.

(b) *Ocular conditions other than visual acquity*—

(i) Any organic disease or a progressive refractive error, which is likely to result in lowering the visual acuity, should be considered a disqualification.

(ii) *Squint.*—As the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard, should be considered a disqualification.

(iii) *One eye.*—The medical board may recommend one eyed persons for appointment to Class I & Class II posts if it is satisfied that he can perform all the functions for the particular job for which he is a candidate provided further that the visual acuity in the functioning eye is 6/6 for distance vision and 0.6 for near vision and the refractive error is not more than plus or minus 4.00 D and the fundus of the functioning eye should reveal no abnormality. This relaxation in visual standards will be applicable to only one-eyed persons in view of their disability and not to persons with binocular vision.

(i) *Contact Lenses.*—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. Blood Pressure.

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood uren clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

*Method of taking Blood Pressure.*

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 m.m. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sound represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Re-checking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in readings).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria, the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the Glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal The Medical Specialist will carry out whatever examinations, clinical and laboratory, he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital, under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement, subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear.

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeths are in good order that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound).

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose, veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints.

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces or acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

Note.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing, appointed to determine their fitness for the above posts. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

**Medical Board's Report**

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases, is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

The report of the medical board should be treated as confidential.

In cases where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service, the grounds for rejection may be communicated to the candidates in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where, a Medical Board consider that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

*(A) Candidate's statement and declaration.*

The candidate must make the Statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters).....
.....

2. State your age and birth place.....
.....

2. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No', and if the answer is 'Yes', state the name of the race.

3. (a) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart diseases, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis. ?

or

(b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment?.....

4. When were you last vaccinated?

5. Have you suffered from any from of nervousness due to over-work or any other cause?

6. Furnish the following particulars concerning your family.

| Father's age if living and state of health | Father's age at death and cause of death | No. of brother living, their ages and state of health | No. of brothers dead their ages at and cause of death |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Mother's age if living and state of health | Mother's age at death and cause of death | No. of sisters living, their ages and state of health | No. of sisters dead, their ages at and cause of death |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

7. Have you been examined by a Medical Board before?
.....

8. If answer to the above is yes, please state what Service(s)/post(s) you/were examined for?.....
.....

9. Who was the examining authority?.....
.....

10. When and where was the Medical Board held ?.....
.....

11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known.. .....
.....

I declare that all the above answers are to the best of my belief, true and correct.

Candidate's Signature ...
Signed in my presence
Signature of Chairman of the Board

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claim to superannuation Allowance or Gratuity.

(B) Report of the Medical Board on (name of candidate). Physical examination.

1. General development : Good.....Fair..... poor..... Nutrition : Thin.....Average..... ..... obes' .....Height (without shoes) weight.....B'st w'ight.....when.....Any recent change in weight.....; Temperature .....

Girth of chest :—

(1) (After full inspiration)
(2) (After full expiration)

2. Skin : Any obvious disease .....

3. Eyes : (1) Any disease.. .....
(2) Night blindness .....
(3) Defect in colour vision .....
(4) Field of vision .....
(5) Visual acuity .....
(6) Fundus Examination .....

| Acuity of vision | Naked eyes | With glasses | Strength of glasses | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sph. | Cyl. | Axis. |
| Distance vision | | | | | |
| R.E. | | | | | |
| L.E. | | | | | |
| Near vision | | | | | |
| R.E. | | | | | |
| L.E. | | | | | |
| Hypermetropia (manifest) | | | | | |
| R.E. | | | | | |
| L.E. | | | | | |

4. Ears; Inspection .....Hearing : Right Ear ..... Left Ear .....

5. Glands ..... Thyroid .....

6. Condition of teeth .....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs? .....
.....
.....
If yes, explain fully .....
.....

8. Circulatory system :
(a) Heart : Any organic lesions ?
Rate ..... Standing .....
After hopping 25 times .....
Two minutes after hopping .....
(b) Blood Pressure : Systolic .....
Diastolic .....

9. Abdomen : Girth ..... Tenderness....
Hernia .....
(a) Palpable : Liver ..... spleen ..... Kidneys .....Tumours .....
.....
.....
(b) Haemorrhoids ..... Fistula .....

10. Nervous system : Indications of nervous or mental diabilities .....

11. Loco Motor System : any abnormality .....

12. Genito Urinary system : Any evidence of Hydrocele, Varicocele, etc. .....

Urine Analysis :
(a) Physical appearance .....(b) Sp. Gr. ..... .....
(c) Albumen (d) Sugar.....
( ) Casts (f) Cells. .....

13. Report of X-Ray Examination of Chest ..... .....
.....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

15. For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit ?

16. Is the candidate fit for Field Service ?

Note :—The Board should record their findings under one of the following three categories :
(i) Fit
(ii) Unfit on account of.....
(iii) Temporarily unfit on account of.....
President.....
Member.....
Place.....
Date.....

## APPENDIX III

Brief particulars relating to the posts for which recruitment is being made through this examination.

1. Engineers (Class I) in the Wireless, Planning and Co-ordination Wing/Monitoring Organisation, Department of Communications :

(a) Scale of pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.

(b) The incumbent of the post of Engineer is eligible for promotion against 50 per cent of the vacancies in the grade of Assistant Wireless Adviser, Wireless, Planning and Co-ordination Wing/Engineer-in Charge, Monitoring Organisation (Scale of pay Rs. 700—40—1,100—50/2—1,250 plus Rs. 100 as special pay for the post of Assistant Wireless Adviser only) after putting in five years service in the grade. Promotion to the grade of Assistant Wireless Adviser/ Engineer-in-Charge will be on the basis of selection on the recommendations of the Departmental Promotion Committee as constituted for Class I posts.

All Assistant Wireless Advisers and Engineer-in-Charge with 5 years service in the grade of Assistant Wireless Adviser/Engineer-in-Charge are eligible for being considered for promotion as Deputy Wireless Adviser (Scale of pay Rs. 1,100—50—1,400). The vacancies in the grade of Deputy Wireless Adviser are filled by promotion to the extent of 75% on the basis of selection on the recommendations of D.P.C. as constituted for Class I Post 25% of the vacancies in the grade of Deputy Wireless Adviser are filled by direct recruitment.

(c) The person appointed to the post of Engineer is liable to be posted anywhere in India.

(d) Any person appointed to the post of Engineer shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years, including the period spent on training, if any :

Provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

2. Deputy Engineer-in-Charge (Class I), Assistant Engineer (Class II Gazetted) and Technical Assistant (Class II—Non-Gazetted) in the Overseas Communications Service, Department of Communications.

(a) Candidates selected for appointment as Technical Assistant/Assistant Engineer/Deputy Engineer-in-Charge will be appointed on probation for a minimum period of two years which may be extended, if necessary.

(b) An Officer appointed as Technical Assistant/Assistant Engineer/Deputy-Engineer-in-Charge will be liable to serve anywhere in India.

(c) In case of temporary appointment to the posts of Technical Assistant/Assistant Engineer/Deputy Engineer in-Charge apart from the conditions laid down in the bond which an officer may be required to execute, his service will be terminable by giving one month's notice on either side. It is, however, left to the Department to terminate the services of a temporary employee by giving one month's pay and allowances in lieu of notice but the officer has no such option.

(d) Scale of Pay :—

(1) Technical Assistant Rs. 325—15—475—EB——20—575.

(2) Assistant Engineer Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(3) Deputy Engineer-in-Charge Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.

(e) Prospects of promotion to higher grades.

(1) Technical Assistant: All Technical Assistants with a minimum service of three years in the grade are eligible for promotion to the grade of Assistant Engineer in the scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB — 30——830—35—900 by selection on merit against 50 per cent vacancies reserved for departmental promotion.

(2) Assistant Engineers: All Assistant Engineers with a minimum service of three years in the grade are eligible for promotion to the grade of Deputy Engineer-in-Charge in the scale of Rs. 400—400—450—30—600—35—670——EB—35—950 by selection on merit against 75 per cent vacancies reserved for departmental promotion.

(3) Deputy Engineer-in-Charge: The incumbent of the post of Deputy Engineer-in-Charge with a minimum service of three years in the grade of Deputy Engineer-in-Charge or Assistant Engineer is eligible for promotion to the post of Engineer-in-Charge (Scale: Rs. 700—40—1100—50/2—1250) in the Overseas Communications Service on the successful completion of the period of probation which will be two years. The minimum service of three years in the case of officers directly recruited in the grade will be reckoned from the date of completion of training. The promotion to the grade of Engineer-in-Charge will be on the basis of selection on the recommendations of the D.P.C. as constituted for the post.

(f) Any person appointed to the post of Technical Assistant, Assistant Engineer or Deputy Engineer-in-Charge shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post in connection with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any :

Provided that such person :—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment,

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

NOTE :—The remaining conditions of service such as leave, travelling allowances on transfer/tour, joining time/joining time pay, medical facilities, travel concession, pension and gratuity, control and discipline and conduct etc. will be as applicable to other Central Government employees of similar status.

3. Assistant Station Engineer (Class I), Directorate General, All India Radio, Ministry of Information and Broadcasting.

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years.

(b) An officer appointed to the post will be liable to serve anywhere in India and also will be liable to transfer, at any time, to serve under a public corporation and on such transfer, he will be liable to be governed by the conditions of service laid down for employees of the Corporation.

(c) The Government can terminate the appointment of an officer in the following events, without giving any notice :—(i) during or at the end of the period of probation, (ii) for insubordination, intemperance, misconduct or breach or non-performance of any of the provisions of the rules pertaining to the service for the time being in force, (iii) if he is found medically unfit and is likely for considerable period to continue to be so unfit by reasons of ill health for the discharge of his duties.

In case of temporary appointments, the service of the officer can be terminated at any time, without assigning any reason by giving one month's notice on either side.

(d) Scale of pay.—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.

(e) Prospects of promotion to higher grades :—

(i) Promotion to the grade of Station Engineers: All Assistant Station Engineers with a minimum of five years' service in the grade are eligible for promotion to the grade of Station Engineers in All India Radio in the scale of Rs. 700—40—1,100—50/2—1,250 on the basis of selection on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.

(ii) Promotion to the grade of Senior Engineers: All Station Engineers who have a minimum of seven years of service in that cadre are eligible for promotion to the grade of Senior Engineers in the scale of Rs. 1300—60—1600 on the basis of selection on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

NOTE :—The remaining conditions of service, such as, leave travelling allowance on transfers tour, joining time/joining time pay, medical facilities, travel concessions, pension and gratuity, control and discipline and conduct etc., will be as applicable to other Central Government employees of similar status.

4. Technical Officer (Class I) and Communication Officer (Class I) in the Civil Aviation Department, Ministry of Tourism and Civil Aviation.

(a) Candidates selected for appointment will be appointed as probationers for a period of 2 years during which they will undergo practical training in accordance with the programme of training that may be prescribed from time to time. Those who are favourably reported upon and have passed any Departmental examination or examinations that may be prescribed will be appointed as temporary Communication Officers/Technical Officers. They will be considered for confirmation in the grade of

Communication Officer/Technical Officer as and when permanent posts for their confirmation become available.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the Officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If no action is taken by Government, under sub-rule (b), (c) of the rule, the period after the prescribed period of probation shall be treated as an engagement from month to month, terminable on either side, on the expiration of one calendar month's notice in writing.

(e) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government under this rule.

(f) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave, increment and pension in accordance with the rules for the time being in force and applicable to Officers of the Central Government. They will also be eligible to join the Central Provident Fund in accordance with the rules regulating that Fund.

(g) These Officers shall be liable for transfer anywhere in India for any Field Service in and outside India during an emergency. They can also be asked to take up duties on board an aircraft in flight.

(h) The relative seniority of Officers appointed through the Engineering Services (Electronics) Examination will ordinarily be determined by the order of their merit in the Examination. Govt. of India, however, reserve the right of fixing the seniority at their discretion in individual cases.

(i) Promotions of Communication Officers/Technical Officers to the grade of Senior Communication Officers/Senior Technical Officers are dependent on the occurrence of vacancies in the latter grade and will be made on the basis of seniority-*cum*-fitness, from amongst those Communication Officers/Technical Officers who have rendered a minimum of three year's service in the grade.

(j) These conditions of service are subject to revision according to the requirements of service. Candidates will not be entitled to any compensation if they are adversely affected by any changes in the conditions of service which may be introduced later on.

(k) The scales of pay for the posts of Communication Officer/Technical Officer in the Department of Aviation are given below :

(i) Communication Officer (Class I) Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950.

(ii) Technical Officers (Class I) Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950.

(l) Any person appointed to the post of Communication Officer/Technical Officer shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than four years including the period spent on training, if any ;

Provided that such persons :—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

5 Assistant Development Officer (Engineering) (Class I) in the Directorate General of Technical Development; Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development).

(a) Persons recruited to the post of Asstt. Development Officer (Engg.) in the Directorate General of Technical Development will be on probation for a period of two years.

(b) The scales of pay of this Class I (Gazetted) post is Rs 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950.

(c) Assistant Development Officers with five years service in the grade are eligible for promotion to the post of Development Officer in the D.G.T.D. in the scale of Rs. 700-40-1110-50/2-1150-EB-1300-60-1600. 50% of the posts in the grade of Development Officer is filled by promotion. Development Officers are eligible for promotion as Industrial Advisor (Rs. 1800-2000); Industrial Advisers are eligible for promotion to the post of Senior Industrial Adviser (Rs. 2000-2250), and Senior Industrial Adviser in turn are also eligible for promotion to the post of Director General (Technical Development) (Rs. 3000).

(d) Any person appointed on the result of this competitive examination shall, if so required be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India for a period of not less than 4 years including the period spent on training, if any;

Provided that such person

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of such appointment;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

6 Deputy Armament Supply Officer, Grade II (Class I) in the Indian Navy, Ministry of Defence.

(a) Candidates selected for appointment to the post will be appointed as probationers for a period of two years which period may be extended at the discretion of the competent authority. Failure to complete the probation to the satisfaction of he competent authority will render them liable to discharge from service. During the period of probation, they will have to undergo a technical training course for a period of 9-12 months and are also to pass the departmental examination in not more than three attempts. In case they fail to pass in departmental examination their services will be liable to be terminated at the discretion of the Government. They will also be required to sign a bond for Rs. 15,000 (the amount may vary from time to time) prior to proceeding on training for compulsory service in the Indian Navy for a period of three years after completion of the training.

(b) The appointment can be terminated at any time by giving the required period of notice (one month in the case of temporary appointment and three months in the case of permanent appointment) by the competent authority. The Government, however, reserves the right of terminating services of the appointees forthwith or before the expiry of the stipulated period of notice by making payment of a sum equivalent to pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.

(c) They will be subject to terms and conditions of Service as applicable to Civilian Government Servants paid from the Defence Services Estimates in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time. They will be subject to Field Service Liability Rules 1957 as amended from time to time.

(d) They will be liable for transfer anywhere in India or abroad.

(e) Scale of pay and classifications—Class I Gazetted in the scale of pay of Rs 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950.

(f) Prospects of promotion to higher grades—

(i) Deputy Armament Supply Officer Grade I DASOs Grade II with 3 years service are eligible for promotion to the grade of DASO Grade I in the scale of pay of Rs. 700-40-1100-50/2-1250 on the basis of selection on the recommendations of DPC provided that only those officers will be considered for promotion who have passed the departmental examination which may be held after technical training course, the syllabus of which is reproduced below :—

1. *Naval Armament Depot, Vishakhapatnam* :

| | |
|---|---|
| (a) Shop-work (Three months). | 37 weeks. |
| (b) Gunwharf Technical Course I. | |
| (c) Ammunition Technical Course I. | |
| (d) Administration and Accounts Course | |
| (e) Visit to Ballasore, Cossipore, Ishapore and Jabalpur. | |

2. *Gunnery School and TAS School :*

3. Visits of Heavy Vehicle Factory, AVADI and Cordite Factory, ARUVANDADU — 2½ weeks.

4. *Naval Armament Depot, Bombay* :

| | |
|---|---|
| (a) Gunwharf Technical Course II | 5 weeks. |
| (b) Ammunition Technical Course II | |
| (c) Visit to Ordnance Factory, AMBARNATH | |

5. *Institute of Armament of Technology, KIRKEE :*

6. Visits to HE Factory, Ammunition Factory, ARDE and ERDL, KIRKEE — 4½ weeks.

7. Visit to Ordnance Factory & Shell Arms Factory, KANPUR *en route* Naval Headquarters, New Delhi. — ¾ week.

8. *Naval Headquarters, New Delhi*

Visit to Defence Science Laboratories DELHI FINAL EXAMINATION — 1¼ weeks.

(ii) *Naval Armament Supply Officer (Ordinary Grade)*

Deputy Armament Supply Officer, Grade I with 3 years service as such are eligible for promotion to the grade of Naval Armament Supply Officer (Ordinary Grade) in the pay scale of Rs. 1100-50-1400 on the basis selection to be made by the appropriate DPC.

(iii) *Naval Armament Supply Officer (Selection Grade)*

Naval Armament Supply Officer (Ordinary Grade) with 3 years service as such, are eligible for promotion to the grade of Naval Armament Supply Officer (Selection Grade) in the pay scale of Rs. 1300-60-1600 on the basis of selection to be made by the appropriate DPC.

(iv) *Director of Armament Supply*

Naval Armament Supply Officer (Selection Grade/Ordinary Grade) with 5 years' service in the grade(s) are eligible for promotion to the grade of Director of Armament Supply in the pay scale of Rs. 1600-100-1800 on the basis of selection to be made by the appropriate DPC.

7. Other posts under the Central Government carrying generally the following scales of pay :

| | |
|---|---|
| Class I . . . . . | Rs. 400—950. |
| Class II . . . . . | Rs. 350—900. |

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970